



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 28]  
No. 28]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1995/आषाढ़ 24, 1917  
NEW DELHI, SATURDAY JULY 15, 1995/ASADHA 24, 1917

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में  
रखा जा सके

Separate Paging is given to this Part in order that it may be filed as a  
separate compilation

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

भारत सरकार के मंत्रालयों (रक्षा मंत्रालय को छोड़कर) और केन्द्रीय अधिकारियों (संघ राज्य  
क्षेत्र प्रशासन को छोड़कर) द्वारा विधि के अन्तर्गत बनाए गए और जारी किये गये साधारण सांविधिक  
नियम (जिनमें साधारण प्रकार के आदेश, उपनियम आदि सम्मिलित हैं)

General Statutory Rules (including Orders, Bye-laws etc. of a general  
Character) issued by the Ministries of the Government of India (other  
than the Ministry of Defence) and by the Central Authorities  
(other than the Administration of Union Territories)

वित्त मंत्रालय

(आर्थिक कार्य विभाग)

(बैंकिंग प्रभाग)

नई दिल्ली, 26 जून, 1995

सा.का.नि. 330 :—यतः दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र ने यह अनुरोध किया है कि राज्य  
वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) के कतिपय उपबंध दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली के बहुप्रयोजन  
उद्योग विकास निगम लिमिटेड पर, जिसकी स्थापना दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली संघ शासित क्षेत्र सरकार द्वारा  
श्रीछोणिक कम्पनियों का वित्त पोषण करने के लिये की गई है, पर लागू होने चाहिए ।

अतः अब, राज्य वित्तीय निगम अधिनियम, 1951 (1951 का 63) की धारा 46 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों  
का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, एतद्वारा निदेश देती है कि उक्त अधिनियम की धारा 29, 30 और 31 के उपबन्ध उक्त  
बहु प्रयोजन दमन, दीव और दादरा और नागर हवेली उद्योग विकास निगम लिमिटेड पर लागू होंगे ।

[एफ सं. 6/3/93-आई.एफ. (ii)]  
वी.पी. भारद्वाज, अवर. मन्त्रि

(1569)

MINISTRY OF FINANCE  
(Department of Economic Affairs)  
(Banking Division)

IF-II Section

New Delhi, the 26th June, 1995

G.S.R. 330.—Whereas the Government of the Union Territory of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli have requested that the certain provisions of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951) may be made applicable to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman, Diu

and Dadra and Nagar Haveli limited an institution established by the Government of the Union Territory of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli, which has for its object the financing of Industrial concerns ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 46 of the State Financial Corporations Act, 1951 (63 of 1951), the Central Government hereby directs that the provisions of Sections 29, 30 and 31 of the said Act shall apply to the Omnibus Industrial Development Corporation of Daman, Diu and Dadra and Nagar Haveli limited.

[F. No. 6/3/93-IF-II]  
V. P. BHARDWAJ, Under Secy

(राजस्व विभाग )

(स्वापक नियंत्रण ब्यूरो)

नई दिल्ली, 3 जुलाई, 1995

सा. का. नि. 331 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1994 का संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 हैं।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशम की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

राजस्व विभाग (स्वापक नियंत्रण ब्यूरो) समूह "ख" पद भर्ती नियम, 1994 की अनुसूची में क्रम सं. 2 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के परचात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां अंतःस्थापित की जाएगी अर्थात् :—

अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद प्रथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6	7
3. कम्प्यूटर कार्यक्रम	01 (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ख" राजपत्रित, अननुसचिबीय	2000-60-2300 रु. रो.- 75-3200- 100-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के परीक्षा की अवधि यदि कोई हो लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-नियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानांतरण किया जाएगा।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (आई. एस. टी. सी.) / सशस्त्र बल कार्मिकों का पुनर्नियोजन

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण

(जिसके अन्तर्गत अल्प कालिक संविदा भी है।)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सवृष पद धारण किए हुए है, या
- (ii) जिन्होंने 1640-2900 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, या
- (iii) जिन्होंने 1400-2300 रु या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है, और जिनके पास निम्न-लिखित अर्हताएं और अनुभव है:—

आवश्यक :

- (क) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से एम सी ए या कम्प्यूटर प्रौद्योगिकी/कम्प्यूटर विज्ञान में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) कम्प्यूटर उपयोजन और कार्यक्रमण में एक वर्ष का अनुभव।  
या
- (ख) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/संक्रिया अनुसंधान/गणित (सांख्यिकी सहित)/भौतिक विज्ञान या अर्थशास्त्र/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।
- (ii) कम्प्यूटर उपयोजन में दो वर्ष का अनुभव जिसमें से एक वर्ष का अनुभव कार्यक्रमण में होना चाहिए।  
या
- (ग) (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सांख्यिकी/भौतिक विज्ञान/संक्रिया अनुसंधान या गणित/वाणिज्य (सांख्यिकी सहित) में बैचलर डिग्री या समतुल्य।
- (ii) कम्प्यूटर उपयोजन में पांच वर्ष का अनुभव जिसमें से एक वर्ष का अनुभव कार्यक्रमण में होना चाहिए।

सशस्त्र बल कार्मिकों के लिए

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण पुनर्नियोजन

सशस्त्र बल के सैकेड लेफ्टीनेंट या समतुल्य के ऐसे कार्मिकों के संबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवा निवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं और जिनके पास उपर वर्णित शैक्षिक ग्रहंताएँ और अनुभव हैं। यदि उनका चयन कर लिया जाता है तो ऐसे अधिकारियों को उस तारीख तक प्रतिनियुक्ति के निबंधनों पर रखा जाएगा जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निवृत्त किया जाता है, तत्पश्चात् उन्हें पुनर्नियोजन के निबंधनों पर बने रहने दिया जा सकता है। यदि ऐसे पात्र अधिकारी उस पद पर वास्तविक चयन से पूर्व सेवानिवृत्त हो गए हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जा चुके हैं, तो उनकी नियुक्ति पुनर्नियोजन के आधार पर की जाएगी। (सिविल पदों के प्रतिनिर्देश से अधिष्ठाता की आयु तक पुनर्नियोजन)।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों से संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा

विभागीय प्रोन्नति समिति

(पुनर्नियोजित व्यक्तियों की पुष्टि के लिए):

- |   |          |
|---|----------|
| 1. महानिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो    | —अध्यक्ष |
| 2. संयुक्त सचिव, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो | —सदस्य   |
| 3. उपनिदेशक, स्वापक नियंत्रण ब्यूरो     | —सदस्य   |

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक है।

[फा. नं. --IV /5/95--एन सी बी (कोर्ड)]

लखबीर सिंह, अवर सचिव (समन्वय)

पाद टिप्पण :—मूल नियम, भारत के राजपत्र, भाग 2, खंड 3, उप-खंड (1) में सा. का. ति. स. 646 तारीख 9 दिसम्बर, 1994 द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

(Department of Revenue)

(Narcotics Control Bureau)

New Delhi, the 3rd July, 1995

of Revenue (Narcotics Control Bureau) Group 'B' Recruitment (Amendment) Rules, 1995;

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette;

G.S.R. 331.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules to amend the Department of Revenue (Narcotics Control Bureau Group 'B') Recruitment Rules, 1994 namely :—

2. In the Schedule to the Department of Revenue (Narcotics Control Bureau Group 'B' posts) Recruitment Rules, 1994 after serial number 2 and entries relating thereto the following serial number and entries shall be inserted, namely :

1. (1) These rules may be called the Department

## SCHEDULE

Name of Post	No. of Post	Classification	Scale of Pay	Whether selection or non-selection	Whether benefit of added years of service is admissible U/R 30 of CCS (Pension) Rules, 1972
1	2	3	4	5	6
3. Computer Programmer	01* (1995)	General Central Service Group 'B' Gazetted Non-Ministerial	Rs. 2000-2300-EB-75-3200-100-3500	Not applicable	Not applicable
*Subject to variation dependent on workload					
Age limit for direct Recruitment	Educational and other qualifications for Direct Recruits	Whether age and educational qualifications for D.R. will apply in the case of promotees	Period of Probation if any	Method of recruitment, whether by D.R. or by promotion or by deputation/transfer and % age of vacancies to be filled by various methods	
7	8	9	10	11	
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Transfer on deputation (ISTC)/Re-employment of Armed Force Personnel.	
Recruitment by promotion/deputation/transfer, grade by promotion/deputation to be made	If DPC exists, what is its composition		Circumstances in which the UPSC is to be consulted for recruitment		
12	13		14		
Transfer on deputation including short term (contract) Officer under the Central/State Govts./Universities/Autonomous Organisations :— (a) (i) Holding analogous posts on a regular basis; or (ii) With three years' regular service in posts in the scale of Rs. 1640-2900/- or equivalent; or (iii) With 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 1400-2300 or equivalent; and	DPC (For confirmation of Re-employed (Persons) : 1. Director General NCB— —Chairman 2. Joint Secretary NCB—Member 3. Deputy Director NCB—Member		Consultation with UPSC necessary		

12

13

14

(b) Possessing the following educational qualifications and experience:

Essential:

(A) (i) MCA or Degree in Computer Technology/Computer Engineering/Computer Science from a recognised University or equivalent.

(ii) One year's experience in Computer Application and Programming.

OR

(B) (i) Master's Degree in Statistics/Operation Research/Mathematics (with Statistics)/Physics or Economics /Commerce (with Statistics) or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent.

(ii) 2 year's experience in Computer Application out of which one year's experience should be in programming

OR

(C) (i) Bachelor's Degree in Statistics/Physics/Operation Research or Mathematics/Commerce (with Statistics) from a recognised University or equivalent.

(ii) 5 years' experience in Computer Application out of which one year's experience should be in programming.

For Armed Forces Personnel

Transfer on Deputation/Re-Employment:

The armed forces personnel of the rank of second lieutenant or equivalent and who are due to retire.

OR

to be transferred to reserve within a period of one year and possessing the educational qualification and experience as shown above shall also be considered. If selected, such officers will be given deputation terms upto the date on which they are due for release from the armed forces, thereafter they may be continued on re-employment basis. In case such eligible officers have retired or have been transferred to reserve before the actual selection to the post is made their appointment will be on re-employment basis. (Re-employment upto the age of Superannuation with reference to civil posts)

[F. No. IV/5/95-NCB (Coord.)]

LAKHBIR SINGH, Under Secy. (Coord)

FOOT NOTE : The principal Rules were published in Part-II, Section 3—Sub-section (i) of the Gazette of India vide G.S.R. No. 646, dated 9th December, 1994.

## उद्योग मंत्रालय

नई दिल्ली, 31 मई, 1995

सा.का.नि. 332 :- राष्ट्रीय, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार समूह "ख" पद) भर्ती नियम, 1968 को, उन बातों के सिवाय अधिकांश करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का लोप किया गया है, उद्योग मंत्रालय के अधीन लघु उद्योग विकास संगठन में ज्येष्ठ लेखाकार के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम लघु उद्योग विकास संगठन (ज्येष्ठ लेखाकार) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) वे राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :- उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो उक्त उपाबद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अन्य अर्हताएं आदि :- उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा अर्हताएं और उससे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति :

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है ;

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है ;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान होता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी।

5. शिथिल करने की शक्ति :- जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके तथा इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग गया प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

6. व्यावृत्ति :- इन नियमों की कोई बात, जैसे आरक्षण आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय समय पर निकासे गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

## अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने सेवा में जोड़े जाने व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं	
1	2	3	4	5	6	7
ज्येष्ठ लेखाकार	3* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "घ" - अ.रो.-75- अराजपत्रित, अननुसूचीय	1640-60-2600- 2900 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होंगी या प्रोन्नति प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा /प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा। विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता।

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

(अ) (क) (1) केन्द्रीय सचिवालय सेवा के ऐसे सहायक जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं।

(2) केन्द्रीय सचिवालय लिपिकीय सेवा के ऐसे उ.श्रे.लि., जिन्होंने उस श्रेणी में दस वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और प्रबन्ध संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है, जिसके न हो सकने पर।

(आ) केन्द्रीय सरकार के अधीन ऐसे अधिकारी :-

(क) (1) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं ; या

(2) जिन्होंने 1400-2300/2600/- रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है ; या

(3) जिन्होंने 1200-2040 /- रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर दस वर्ष नियमित सेवा की है ; और

(ख) जिन्होंने सचिवालय प्रशिक्षण और संस्थान में रोकड़ और लेखा कार्य में प्रशिक्षण या समतुल्य प्राप्त किया है जिनके पास रोकड़, लेखा और बजट कार्य का तीन वर्ष का अनुभव है।

केन्द्रीय सरकार के किसी संगठित सेवा विभाग द्वारा संचालित अधीनस्थ लेखा सेवा या समतुल्य परीक्षा उत्तीर्ण।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण। स्थानान्तरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि की 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।



यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में निम्न परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा ।

13

14

नाग नहीं होता

संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करना आवश्यक नहीं है ।

[सं. ए-12018/(1)/94-प्र. (मु. स्था. )]

एम.पी. जोन, उप निदेशक (प्रशासन)

## MINISTRY OF INDUSTRY

New Delhi, the 31st May, 1995

G.S.R. 332.—In exercise of the powers conferred by the provision to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Small Industries Development Organisation (Senior Accountant—Group B Post) Recruitment Rules, 1968 except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of Senior Accountant in the Small Scale Industries Development Organisation under the Ministry of Industry, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Small Scale Industries Development Organisation (Senior Accountant) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number, classification and scale of pay.—The number of posts, classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the said Schedule.

3. Method of recruitment, age limit, other qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit qualifications and other matters connected therewith shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification.—No person,

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living or

(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to the said post ;

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the Personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing relax any of the provisions of these rules in respect to any class or category of persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Caste, the Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of Pay
1	2	3	4
Senior Accountant.	3* (1995)	General Central Service, Group—'B', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1640-60-2600-EB-75-2900

\*Subject to variation dependent on work-load.

Whether selection post or non-selection post.	Age limit for direct recruits.	Whether benefit of added years of service admissible under Rule 30 of the CCS (Pension) Rule, 1972.	Educational and other qualifications required for direct recruits.
5	6	7	8
Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable

Whether age and Educational qualifications described for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation, if any.	Method of recruitment Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	In case of recruitment by promotion, deputation/Transfer grades from which promotion/transfer/deputation to be made.
9	10	11	12
Not applicable	Not applicable	By transfer on deputation	<p data-bbox="932 1000 1317 1032">Transfer on deputation :</p> <p data-bbox="932 1032 1461 1138">A. (a) (1) Assistants of CCS holding the posts on regular basis. OR</p> <p data-bbox="1011 1149 1461 1255">(2) UDCs of CSCS with 10 years' regular service in the grade and</p> <p data-bbox="964 1266 1461 1457">(b) Who have undergone training in cash and accounts work in the ISTM or equivalent and possess three years' experience of cash, accounts and budget work: failing which;</p> <p data-bbox="893 1468 1364 1500">B. Officers under the Central Govt.</p> <p data-bbox="964 1510 1461 1617">(a) (1) holding analogous posts on regular basis: OR</p> <p data-bbox="1027 1627 1461 1766">(2) with five years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1400—2300/2600 or equivalent; OR</p> <p data-bbox="1027 1776 1461 1947">(3) with ten years' regular service in posts in the pay scale of Rs. 1200—2040 or equivalent: and</p>

9	10	11	12
			(b) Who have undergone training in cash and accounts work in the ISTM or equivalent and possess three years experience of cash, accounts and budget works. OR A pass in the SAS or equivalent Examination conducted by any of the organised Accounts Deptt. of Central Govt. The maximum age limit for appointment by transfer on deputation/transfer shall be not exceeding 56 years as on the closing date of receipt of application.
If Departmental Promotion Committee exists, what is its composition.		Circumstance in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
13		14	
Not applicable.		Consultation with the Union Public Service Commission is not necessary.	

[No. A—12018(1)/94—A(HE)]

M. P. JOHN, Dy. Director (Admn.)

जल संसाधन मंत्रालय

नई दिल्ली, 28 जून, 1995

सा.का.नि. 333.—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में समूह "क" वैज्ञानिक पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ :—(क) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वैज्ञानिक समूह "क" पद) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएं :—इन नियमों में जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "आयोग" से, संघ लोक सेवा आयोग अभिप्रेत है,

(ख) "नियंत्रक प्राधिकारी" से, भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय अभिप्रेत है,

(ग) "विभागीय प्रोन्नति समिति" से, किसी श्रेणी में प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए गठित समिति, अभिप्रेत है ;

(घ) "सरकार" से भारत सरकार का जल संसाधन मंत्रालय अभिप्रेत है ;

(ङ) "अनुसूची" से इन नियमों में उपाबद्ध अनुसूची अभिप्रेत है ;

(च) किसी श्रेणी के संबंध में नियमित सेवा से इन नियमों के अधीन चयन और नियुक्ति के पश्चात् उस श्रेणी में की गई सेवा की अवधि या अवधियां अभिप्रेत है और जिसके अन्तर्गत कोई ऐसी अवधि या अवधियां भी हैं ;

(i) जिनकी गणना सेवा के प्रारंभिक गठन के समय नियुक्त व्यक्तियों की दशा में ज्येष्ठता के प्रयोजन के लिए की गई है ;

(ii) जिसके दौरान कोई अधिकारी उस श्रेणी में पद धारण करता किन्तु छुट्टी पर होने के कारण या ऐसा पद धारण करने के लिए अन्यथा उपलब्ध नहीं होने के कारण उसने पद धारण नहीं किया ;

(छ) "अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों" के वही अर्थ होंगे जो उनको संविधान के अनुच्छेद 366 के क्रमशः खंड (24) और (25) में हैं:

3. लागू होना :—ये नियम, अनुसूची के स्तम्भ (1) में विनिर्दिष्ट पदों को लागू होंगे।

4. पदों की संख्या, वर्गीकरण और वेतनमान :—उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान, नियम-7 में असा उपबंधित है, उसके सिवाय, 'घ' होंगे जो अनुसूची के स्तम्भ (2) से स्तम्भ (4) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

5. प्रारम्भिक गठन :

(1) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड में कार्यरत ऐसे सभी समूह "क" अधिकारी, जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को, सारणी के स्तम्भ 1 में विनिर्दिष्ट पदों को जिनका वेतनमान उक्त सारणी के स्तम्भ 2 में तत्स्थानी प्रविष्टियों में विनिर्दिष्ट है, नियमित आधार पर धारण किए हुए हैं, सारणी के स्तम्भ 3 में तदस्थानी प्रविष्टियों में यथा विनिर्दिष्ट रूप में पुनः पदाभिहित किए जाएंगे और उक्त पदों पर प्रारम्भिक गठन के समय नियुक्त किए गए समझे जाएंगे।

#### सारणी

पद का नाम	वेतनमान	नए पद का पदाभिधान
1	2	3
1. निदेशक, अधीक्षण रसायनज्ञ, अधीक्षण भू-भौतिकी-विद्, अधीक्षण जल विज्ञानी	3700-125- 4700-150- 5000 रु.	वैज्ञानिक "ख"
2. ज्येष्ठ जल भू-विज्ञानी, ज्येष्ठ भू-भौतिकी-विद्, ज्येष्ठ रसायनज्ञ, ज्येष्ठ जल विज्ञानी	3000-100- 3500-125- 4500 रु.	वैज्ञानिक "ग"
3. कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी, कनिष्ठ भू-भौतिकी-विद् रसायनज्ञ, जलोष्का विज्ञानी	2200-75- 2800-इ.रो.- 100-4000 रु.	वैज्ञानिक "ख"

2. उप-नियम (1) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों की, वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" के नए रूप में पदाभिहित पदों पर उनकी नियुक्ति के पूर्व की नियमित निरन्तर सेवा, परीक्षा को अर्बधि, प्रोन्नति के लिए अर्हक सेवा, पुष्टि और वेंचन के प्रयोजनों के लिए सर्गाणा को जाएगी।

6. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा और अन्य अर्हताएं :

उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो अनुसूची के स्तम्भ (5) से स्तम्भ (14) में यथा विनिर्दिष्ट हैं।

7. भावी अनुरक्षण :—

(1) अनुसूची में विभिन्न पदों की बाबत यथा विनिर्दिष्ट मूल्यांकन बोर्ड की बैठक वर्ष में कम से कम एक बार होगी और उसमें वह ऐसे सभी विभागीय अधिकारियों के मामलों पर जिन्होंने उस वर्ष के जिसमें ऐसे विभागीय अधिकारी स्वस्थाने प्रोन्नति के लिए जहां-कहीं लागू हों, पात्र हो गए हैं, परचात्पूर्वी वर्ष की पहली जनवरी को अपनी-अपनी श्रेणी में अपेक्षित अर्हक सेवा पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए उनकी उपयुक्तता निर्धारित करने के लिए विचार करेगा।

(2) सुनम्य कांतिपूरक और स्वस्थाने प्रोन्नति पद्धति का अनुसरण, वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में के विभागीय अधिकारियों की क्रमशः उच्चतर श्रेणियों अर्थात् वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" में प्रोन्नति के मामले में किया जाएगा जो निम्नलिखित शर्तों के अधीन रहते हुए होगा, अर्थात् :—

(क) अधिकारियों की कुल मिलाकर संख्या, किसी भी नियत समय पर वैज्ञानिक "ख", वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या से अधिक नहीं होगी किन्तु संबंधित श्रेणियों की बाबत पदों की संख्या में पूर्णतः सुनम्यता होगी।

(ख) ऐसे विभागीय अधिकारी की जिन्होंने अपनी-अपनी श्रेणी में अनुसूची के स्तम्भ (12) में विनिर्दिष्ट अपेक्षित नियमित सेवा पूरी कर ली है, उससे अगली उच्चतर श्रेणी में, प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन बोर्ड द्वारा, जो अनुसूची के स्तम्भ (13) में विनिर्दिष्ट अधिकारियों से मिलकर बनेगा, सिफारिश की जा सकती है। प्रोन्नति के लिए अधिकारियों की उपयुक्तता का मूल्यांकन करते समय य बोर्ड उनकी अर्हता, कार्य गुणागुण और ज्येष्ठता पर विचार करेगा। चयन गोपनीय रिपोर्ट और साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा। तथापि, मूल्यांकन बोर्ड, स्वखिबेकानुसार ऐसे अधिकारी की, जो साक्षात्कार में उपस्थित होने में असमर्थ है, अनुपस्थिति में, उसकी अभ्यर्थिता पर विचार कर सकता है। मूल्यांकन बोर्ड, ऐसे अधिकारियों की सूची तैयार करेगा जिन्हें अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए योग्य निर्धारित किया गया है। जहां तक भारत में या विदेश में (मूल नियम 51 के अधीन) प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे व्यक्तियों का संबंध है, अगली उच्चतर श्रेणी में उनकी प्रोन्नति उस तारीख से प्रभावी होगी, जिसको उनकी इस प्रकार प्रोन्नति हुई होती यदि वे प्रशिक्षण पर नहीं गए होते। किन्तु यह निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन की जाएगी :—

- (i) ऐसे प्रशिक्षण की अधिभूमि नियम 9(6) (ख) के अधीन ड्यूटी के रूप में मानी गई हो।
- (ii) उनका अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अनुमोदन कर दिया गया हो।
- (iii) उनसे ज्येष्ठ सभी उपलब्ध व्यक्तियों को, उन व्यक्तियों के सिवा जिन्हें विशिष्ट श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अयोग्य माना गया है, उस श्रेणी में प्रोन्नत कर दिया गया हो।

(3) (क) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या जल भू-विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 276 होगी वैज्ञानिक "घ" की श्रेणी में ज्येष्ठतम 16 अधिकारी, निदेशक के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ग" की श्रेणियों में अगले ज्येष्ठतम 91 अधिकारी ज्येष्ठ जल भू-विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे।

जल भू-विज्ञानी शाखा में 276 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होगी बशर्ते वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल भू-विज्ञानी) की कुल संख्या 169 से अधिक नहीं हो। 276 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(ख) वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ गभू-भौतिकी विद्), वैज्ञानिक "ग" और "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या भू-भौतिकी शाखा में कुल मिलाकर 23 होगी। भू-भौतिकी शाखा में ज्येष्ठतम वैज्ञानिक "घ" अधीक्षण भू-भौतिकी विद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ग" की श्रेणियों में अगले ज्येष्ठतम 5 अधिकारी ज्येष्ठ भू-भौतिकी विद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी कनिष्ठ भू-भौतिकी विद् के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। भू-भौतिकी शाखा में 23 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक (कनिष्ठ भू-भौतिकी विद्) की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी बशर्ते वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ भू-भौतिकी विद्) की कुल संख्या 17 से अधिक नहीं हो। 23 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(ग) वैज्ञानिक "ख" (जलोत्का विज्ञानी), वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या जलोत्का विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 7 होगी। जलोत्का विज्ञान शाखा में सभी 7 अधिकारी जलोत्का विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (जलोत्का विज्ञानी)

की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी। 7 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(घ) वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ), वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या रासायनिक शाखा में कुल मिलाकर 19 होगी। रासायनिक शाखा में ज्येष्ठतम वैज्ञानिक "घ", अधीक्षण रासायनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और रासायनिक शाखा में वैज्ञानिक "घ" और वैज्ञानिक "ग" की श्रेणियों में अगले ज्येष्ठतम 3 अधिकारी, ज्येष्ठ रसायनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी रासायनज्ञ के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। रासायनिक शाखा में 19 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ) की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी बशर्ते वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ) की कुल संख्या 15 से अधिक नहीं हो। 19 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(ङ) वैज्ञानिक "ग" और वैज्ञानिक "घ" की श्रेणियों में पदों की कुल संख्या जल विज्ञान शाखा में कुल मिलाकर 8 होगी। जल विज्ञान शाखा में ज्येष्ठतम वैज्ञानिक "घ" अधीक्षण जल विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे और शेष अधिकारी ज्येष्ठ जल विज्ञानी के रूप में कृत्यकारी तौर पर अभिनियोजित किए जाएंगे। जल विज्ञान शाखा में 8 अधिकारियों की कुल संख्या में वर्ष में हुई कमी उस विशिष्ट वर्ष में वैज्ञानिक "ग" की श्रेणी में उद्भूत रिक्तियां होंगी बशर्ते वैज्ञानिक "ग" की कुल संख्या 7 से अधिक नहीं हो। 8 पदों की इस कुल संख्या में कार्य-भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

(4) सरकार सब लोक सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों में अनुसूची में सम्मिलित पदों से भिन्न किसी भी पद को सम्मिलित कर सकती है या उक्त अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को इन नियमों में अपरिचित कर सकती है।

(5) सरकार, सब लोक सेवा आयोग से परामर्श करके, किसी ऐसे अधिकारी को जिसका पद उपनियम (4) के अधीन इन नियमों में सम्मिलित है संचित श्रेणी में अस्थायी हैसियत से या अधिष्ठायी हैसियत से, जैसा उपयुक्त हो नियुक्त कर सकती है और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता सदृश श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् नियत कर सकती है।

(6) ऐसे ज्येष्ठ जल विज्ञानी का, जिसने 1-1-1988 को उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है 30, जून 1988 में वैज्ञानिक "घ" के रूप में कल्पित प्रोन्नति के लिए मूल्यांकन किया जाएगा।

## 8. निरहंता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिम्मेदार पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्तियों से विवाह किया है

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा।

परन्तु यदि नियंत्रक प्राधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकता है।

## 9. श्रेणियाँ, संख्या और उसका पुनर्विचोक्तन :

(1) विभिन्न श्रेणियों में सम्मिलित ड्यूटी पदों उनकी संख्या और उनके वेतनमान बड़ी होंगे जो इन नियमों के प्रारम्भ की तारीख को अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट है।

(2) उप-नियम (1) में किसी बात के होते हुए भी सरकार —

(क) समय-समय पर विभिन्न श्रेणियों में ड्यूटी पदों की संख्या में अस्थायी रूप से वृद्धि या परिवर्तन कर सकती है ;

(ख) मंच लोक सेवा आयोग से परामर्श करके सेवा में सहबद्ध पदों (अनुसूची में सम्मिलित पदों से भिन्न) को सम्मिलित कर सकती है या अनुसूची में सम्मिलित किसी पद को सेवा से अपवर्जित कर सकती है, और

(ग) मंच लोक सेवा आयोग के परामर्श करके किसी अधिकारी को, उपरोक्त खंड (ख) के अधीन सेवा में सम्मिलित ड्यूटी पद पर समुचित श्रेणी में नियमित आधार पर नियुक्त कर सकती है और उस श्रेणी में उसकी ज्येष्ठता सदृश श्रेणी में निरन्तर नियमित सेवा को गणना में लेने के पश्चात् नियत कर सकती है।

10 ज्येष्ठता : (1) नियम 5 के अधीन सेवा के प्रारंभिक गठन पर संबंधित श्रेणी/संबंधित उप-काइनों में नियुक्त किए गए सेवा के सदस्यों की ज्येष्ठता ही होगी जो इन नियमों के प्रारंभ की तारीख को थी :

परन्तु यदि किसी ऐसे सदस्य की ज्येष्ठता उक्त तारीख को विनिर्दिष्ट रूप से अवधारित नहीं की गई थी तो उसकी ज्येष्ठता का अवधारण इन नियमों के प्रारंभ से पूर्व सेवा के सदस्यों को यथा लागू ज्येष्ठता नियत करने वाले नियमों के आधार पर किया जाएगा।

(2) प्रारंभिक गठन के पश्चात् सेवा में भर्ती किए गए व्यक्तियों की ज्येष्ठता का अवधारण इस विषय में सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए माध्याम आदेशों या अनुदेशों के अनुसार किया जाएगा।

(3) ऐसे मामलों में, जो उप-नियम (1) और (2) में नहीं आते हैं, ज्येष्ठता का अवधारण आयोग से परामर्श करके सरकार द्वारा किया जाएगा।

11. परिवीक्षा : (1) सीधी भर्ती द्वारा या प्रोत्सति द्वारा सेवा के कनिष्ठ काल—वेतनमान में नियुक्त किया गया प्रत्येक व्यक्ति, दो वर्ष की अवधि तक परिवीक्षा पर रहेगा।

परन्तु नियंत्रक, प्राधिकारी, सरकार द्वारा, इस संबंध में समय-समय पर जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों के अनुसार परिवीक्षा की अवधि बढ़ा सकता है।

परन्तु यह और कि परिवीक्षा की अवधि बढ़ाने का विनिश्चय प्रारंभिक परिवीक्षा अवधि की समाप्ति के पश्चात् तुरन्त और साधारणतया आठ सप्ताह के भीतर किया जाएगा और संबंधित अधिकारी को उक्त अवधि के भीतर इसकी संसूचना और ऐसा करने के कारण लिखित बताए जाएंगे।

(2) परिवीक्षा की अवधि या उसके विस्तार को अवधि की समाप्ति पर अधिकारियों को, यदि उन्हें स्थायी नियुक्ति के लिए योग्य समझा जाता है तो उन्हें सरकार के आदेशों के निबंधनों पर पद पर पुष्ट कर दिया जाएगा।

(3) यदि, यथास्थिति परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान सरकार को यह राय है कि अधिकारी स्थायी नियुक्ति के योग्य नहीं है तो सरकार उस अधिकारी को यथास्थिति सेवा से मुक्त कर सकती है या सेवा में नियुक्ति से पूर्व उसके द्वारा धारण किए हुए पद पर प्रतिवर्तित कर सकती है।

(4) परिवीक्षा की अवधि या उसके किसी विस्तार के दौरान अधिकारी से सरकार द्वारा यह अपेक्षा की जा सकती है कि वे प्रशिक्षण के ऐसे पाठ्यक्रम पूरे करें और ऐसी परीक्षा और परीक्षण (जिसके अन्तर्गत द्वितीय परीक्षा भी है) पूरे करें जो सरकार परिवीक्षा के समाधानप्रद रूप में पूरा करने की शर्त के रूप में ठीक समझती है।

(5) परिवीक्षा से संबंधित अन्य मामलों के संबंध में सेवा के सदस्य सरकार द्वारा समय-समय पर इस संबंध में जारी किए गए आदेशों या अनुदेशों से शासित होंगे।

12. सेवा में नियुक्ति :—विभिन्न श्रेणियों में पद पर सभी नियुक्तियाँ नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा की जाएंगी।

13. भारत के किसी कसी भाग में सेवा करने के लिए दायित्व और सेवा की अन्य शर्तें :—

(1) सेवा में नियुक्त अधिकारी भारत में कहीं भी सेवा करने या बाहर सेवा करने के दायित्वाधीन होगा।

(2) सदस्यों की सेवा से संबंधित मामलों की अन्य ऐसी शर्तें जिनका उपबंध इन नियमों में नहीं किया गया है वही होंगी जो साधारण रूप में केंद्रीय सिविल सेवा के समूह "क" अधिकारियों के लिए समय-समय पर लागू हैं।

14. शिथिल करने की शक्ति:—जहाँ नियंत्रक प्राधिकारी की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है वहाँ वह उसके लिए जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके तथा मंत्रालय सेवा आयोग से परामर्श करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की भावत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगा।

15. व्यावृत्ति:—इस नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा से छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी। जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

16. निर्वचन:—यदि इन नियमों के निर्वचन के संबंध में कोई प्रश्न उठता है तो उसका विनिश्चय आयोग से परामर्श करके सरकार द्वारा किया जाएगा।

17. निरसन:—निम्नलिखित भर्ती नियम जहाँ तक उनका संबंध इन नियमों की अनुसूची में सम्मिलित पदों से है निरमित किए जाने हैं:—

- (1) गवेषणा नलकूप संगठन (वर्ग 1 और वर्ग 2 सेवा) भर्ती नियम, 1963
- (2) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (अधीक्षण जल विज्ञानी) भर्ती नियम, 1980
- (3) केन्द्रीय भूमिगत जल बोर्ड (वैज्ञानिक समूह "क" पद भर्ती नियम, 1987

परन्तु ऐसे निरसन का प्रभाव ऐसे निरसन से पहले की गई या करने से लोप की गई किसी बात पर नहीं पड़ेगा।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनशेष है या नहीं।
1	2	3	4	5	6	7
1. वैज्ञानिक "ध"	नियम 7 के उपनियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क" राजपत्रित अननुसूचित-वीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	3700-125-4700-150-5000 रु.	चयन	50 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	हां

टिप्पणी:—आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों में आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित णक्षक और अन्य अर्हताएं ।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए/विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होगी या नहीं ।

परिक्षा की अवधि, यदि कोई हो ।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की अपेक्षित विद्याशाखा में मास्टर डिग्री या सिविल इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) उस सुसंगत क्षेत्र में अनुसंधान या अध्यापन फील्ड कार्य में दस वर्ष का अनुभव ।

टिप्पणी : यह विशिष्ट विद्याशाखा जिसमें शैक्षिक अर्हता और वह क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित है, प्रत्येक सीधी भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा ।

टिप्पणी-1 अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पणी-2 अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुसंगत विषय में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य ।

आयु : नहीं

शैक्षिक अर्हताएं : हूं

सीधे भर्ती किए जाने

वाले व्यक्तियों के लिए एक वर्ष ।

भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता ।

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति स्थानान्तरण किया जाएगा ।

(11)

(12)

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण (जिसके अंतर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)/सीधी भर्ती द्वारा/(किसी भी नियत समय पर भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय सरकार द्वारा विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव को और उस पद के लिए अपेक्षित कार्य को ध्यान में रखते हुए आयोग से परामर्श करके किया जाएगा) ।

प्रोन्नति : ऐसे वैज्ञानिक "ग" जिन्होंने उम श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण : — (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यता प्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्डर्ड नरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :

(क) (i) जो नियमित आधार पर मदरा पद धारण किए हुए हैं, या



(12)

(ii) जिन्होंने 3000-5000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर चार वर्ष नियमित सेवा की है: या

(iii) जिन्होंने 3000-4500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक अर्हता और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए, विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अंतर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काष्ठ/बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया चार वर्ष से अधिक नहीं होगी।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

(13)

(14)

मूल्यांकन बोर्ड (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड—सदस्य
4. आयोग द्वारा नामनिर्दिष्ट दो या अधिक विशेषज्ञ—सदस्य

अथवा, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

टिप्पणी : 1. अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति बोर्ड की कार्यवाहियां निरप्रभावित रहेंगी।

टिप्पणी : 2. बोर्ड की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदन के अधीन होंगी।

टिप्पणी : 3. वह तारीख जिसमें बोर्ड की सिफारिश प्रभावी होगी आयोग से परामर्श करके विनिश्चित की जाएगी।

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय—अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

(13)

## 3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड—सदस्य

टिप्पणी : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ मजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वा किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2. वैज्ञानिक "ग"	नियम 7 के उपनियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा; समूह "क", राजपत्रित, (अनुसन्धीय वैज्ञानिक और तकनीकी)।	3000- 100- 3500- 125- 4500 रु.	असम	40 वर्ष से अधिक नहीं। (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या प्रादेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	हां
					टिप्पणी : आयु सीमा अवधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी)। (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

(8)	(9)	(10)
जल विज्ञान विद्या शाखा के लिए आवश्यक :	आयु : नहीं शैक्षिक अर्हताएं : हों	मीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों और प्रोन्नत अधिकांशियों के लिए एक वर्ष।
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से भू-विज्ञान या जलविज्ञान में मास्टर डिग्री या त्रिविध इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।		
(ii) जलविज्ञान में पांच वर्ष का व्यावहारिक अनुभव जो अधिमानतः भूमिगत जल विज्ञान में हो।		
अन्य विद्या शाखा के लिए आवश्यक :		
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान की अपेक्षित विद्याशाखा में मास्टर डिग्री या समतुल्य;		
(ii) उस सुसंगत क्षेत्र में अनुसंधान/अभ्यापन, फील्ड कार्य में पांच वर्ष का अनुभव।		
टिप्पणी : —विशिष्ट विद्याशाखा जिसमें शैक्षिक अर्हता और वह क्षेत्र जिसमें अनुभव अपेक्षित है, प्रत्येक भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।		

(8)

टिप्पण-1 ग्रहृताएं अन्यथा सुसहित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिबिल की जा सकती है।

टिप्पण-2 अनुभव संबंधी ग्रहृता (ग्रहृताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब गिबिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए धारित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

वांछनीय : किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से सुसगत बिबय में डाक्टरेट डिग्री या समतुल्य।

(जलविज्ञान विद्याशाखा के लिए)

भूमिगत जल खोज में उपयोग में लाए जाने वाली विभिन्न पद्धतियों का अनुभव।

(11)

(12)

जलविज्ञान शाखा के लिए :

(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

अन्य विद्याशाखा के लिए :

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

सीधी भर्ती द्वारा (किसी भी नियत समय पर भर्ती की विशिष्ट पद्धति का विनिश्चय सरकार द्वारा विशिष्ट पद के लिए अपेक्षित ग्रहृताओं को और उस पद के लिए अपेक्षित कार्यों की ध्यान में रखते हुए आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

जलविज्ञान शाखा के लिए :

प्रोन्नति : ऐसे कनिष्ठ जल-विज्ञानी जिन्होंने इस श्रेणी में नियुक्ति के पश्चात् नियमित आधार पर आठ वर्ष सेवा की है।

अन्य विद्याशाखा के लिए :

प्रोन्नति : ऐसे वैज्ञानिक समूह "ख" जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/कानूनी या स्व-भासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : —

(ग.) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2200-4000 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर पांच वर्ष नियमित सेवा की है; या

(iii) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर आठ वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित शैक्षिक ग्रहृताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

( 12 )

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी)।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण द्वारा, नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

( 13 )

( 14 )

विभागीय प्रोन्नति समिति (जलविज्ञान शाखा में प्रोन्नति के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य

अन्य विद्याशाखा के लिए :

(मूल्यांकन बोर्ड)

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अपर सचिव/संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
4. मुख्य जलभूविज्ञान, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय —सदस्य
5. आयोग द्वारा नामनिर्देशित दो या अधिक विशेषज्ञ—सदस्य

टिप्पण: 1. अध्यक्ष से भिन्न किसी सदस्य की अनुपस्थिति बोर्ड की कार्यवाहियों को निष्प्रभावित रहेगी।

टिप्पण : 2. बोर्ड की कार्यवाहियां आयोग के अनुमोदन के अधीन होंगी।

टिप्पण : 3. वह तारीख जिसमें बोर्ड की सिफारिश प्रभावी होगी आयोग के परामर्श से विनिश्चित की जाएगी।

सभी विद्याशाखा के लिए :

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अपर सचिव, जल संसाधन मंत्रालय—अध्यक्ष

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(13)

2. संयुक्त सचिव/आयुक्त, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य  
3. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

टिप्पणी :—पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
3. वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ जल-भू-विज्ञानी)	नियम 7 के उपनियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "क", राजपत्रित, (अननुसंधिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	2200-75-2800-द.-रो.-100-4000 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनु-देशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं

टिप्पणी: आयु सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी (न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-काश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।

(8)	(9)	(10)
(1) भू-विज्ञानी परीक्षा परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती के लिए किसी मान्यताप्राप्त विश्व-विद्यालय से भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य या कोई अन्य अर्हताएं, जिसका स्तर संघ लोक सेवा आयोग की राय में भू-विज्ञानी की परीक्षा में किसी अभ्यर्थी के प्रवेश को न्यायोचित ठहराता है।	आयु: नहीं शैक्षिक अर्हताएं: हां	दो वर्ष
(2) साक्षात्कार द्वारा चयन के आधार पर सीधी भर्ती के लिए : आवश्यक :		
(क) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य।		

(8)

(ख) जनभूतस्वीय भूतस्वीय अन्वेषणों में तीन वर्ष का अनुभव।

बांझनीय :

भूमिगत जल सर्वेक्षण और नमूना लेने, बोर टिड्र आंकड़े का निबंधन और स्वतंत्र रूप से भूतस्वीय मानचित्र तैयार करने का अनुभव।

टिप्पणी : 1— अर्हताएं अन्यथा सुदर्िता अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती हैं।

टिप्पणी : 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अपेक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है।

(11)

- (1) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और ठीकी के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- (2) 30 प्रतिशत संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संचालित भू-विज्ञानी परीक्षा के परिणाम के आधार पर सीधी भर्ती द्वारा जिसके न हो सकने पर साक्षात्कार द्वारा चयन के आधार पर।

(12)

ऐसे सहायक जल भू-विज्ञानी जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण : (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी : —

- (क) (1) जो नियमित आधार पर सद्यः पद धारण किए हुए हैं, या
- (2) जिन्होंने 2000-3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग के इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काऊर-ब्राह्म पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु-सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति) प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग के परामर्श से किया जावेगा।

1. अध्यक्ष (सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष)
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन--सदस्य मंत्रालय
3. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल--सदस्य संसाधन मंत्रालय

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन--अध्यक्ष मंत्रालय
2. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल--सदस्य संसाधन मंत्रालय
3. उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

टिप्पणी : पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्यवाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किंतु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
4. वैज्ञानिक "ख" (कनिष्ठ भू-भौतिकीविद्)	नियम 7 के उपनियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अनु-संख्यीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	2200-75-2800 दर.रो.-100-4000 रु.	चयन	35 वर्षों से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	नहीं

टिप्पणः--आवृत्ति-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम,

(6)

(7)

नागालैंड, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पिति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।

(8)

(9)

(10)

आवश्यक :

आयु : नहीं

दो वर्ष ।

- (i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में भौतिक विज्ञान/अनुप्रयुक्त भौतिक विज्ञान/रेडियो भौतिक विज्ञान और इलेक्ट्रॉनिकी/भू-भौतिकी/अनुप्रयुक्त भू-भौतिकी/भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।
- (ii) भू-भौतिकी यंत्रिकरण के इलेक्ट्रॉनिकी पहलुओं में अनुसंधान और/या व्यावहारिक अनुभव और ऐसे यंत्रों की मरम्मत में तीन वर्ष का अनुभव ।

या

विशिष्ट रूप से भूमिगत जल के प्रतिनिवेश से भू-भौतिकीय सर्वेक्षण के वास्तविक संचालन और निर्वाचन में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण :—1. ऐसे किसी अभ्यर्थी, जिसके पास भू-विज्ञान या अनुप्रयुक्त भू-विज्ञान में मास्टर डिग्री है, उसके पास किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय में विज्ञान की बैचलर डिग्री परीक्षा या समतुल्य परीक्षा में भौतिक विज्ञान एक विषय के रूप में रहा हो ।

टिप्पण :—2. भर्ती करने समय प्रत्येक अवसर पर शैक्षिक अर्हताओं (ii) के अधीन अपेक्षित विनिर्दिष्ट अनुभव को उपर्युक्त किया जाना चाहिए ।

टिप्पण :—1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण :—2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।



(11)

(12)

(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

(ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

उमें से ज्येष्ठ तकनीकी महापक (भू-भौतिकी) जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:—

(क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं; या

(ii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है; और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकतम शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं ।

(पोपक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे । इसी प्रकार प्रतिनियुक्ति व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे ) ।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काउन्सिल-बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी) । प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी ।

(13)

(14)

समूह "क", विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग—अध्यक्ष
2. अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
3. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा ।

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए)

1. अध्यक्ष केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—  
—अध्यक्ष
2. मुख्य जल भू-विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य
3. उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय—सदस्य

टिप्पणः— पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

1	2	3	4	5	6	7
6. वैज्ञानिक "ख" (रसायनज्ञ)	नियम 7 के उपनियम (3) और (4) में यथा विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अननु- सचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	2200-75-2800 द.रो.-100-4000 रु.	अयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवकों के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है)।	नहीं
					टिप्पणः—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी। न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहौल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड, अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है)।	

8

9

10

आवश्यक :

आयु : नहीं

दो वर्ष

(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से रसायन विज्ञान में मास्टर डिग्री या समतुल्य ।

शैक्षिक अर्हताएं : हां

(ii) पानी के नमूने के रासायनिक विश्लेषण करने और सुसंगत आंकड़े के निर्वाचन में तीन वर्ष का अनुभव ।

टिप्पण 1. अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल की जा सकती है ।

टिप्पण 2. अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) सघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर सघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की सम्भावना नहीं है ।

11

12

(i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा ।

प्रोन्नति :

ऐसे सहायक रसायन जिन्होंने उस श्रेणी में तीन वर्ष नियमित सेवा की है ।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण :

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थानों/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/आदि सरकारी/कानूनी या स्वशासी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी:

(क) (i) जो नियमित आधार पर सवृष पद धारण किए हुए हैं या

(ii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य बतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और

(ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकथित शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव है।

(पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उमी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है। साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय  
--सदस्य
3. मुख्य जल भू विज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय  
--अध्यक्ष
2. मुख्य जल भूविज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य
3. उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

टिप्पणः--पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

चयन, प्रत्येक अवसर पर संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श करके किया जाएगा।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
6. वैज्ञानिक "ख" (जलोत्का-विज्ञानी)	नियम 7 के उप-नियम (3) और (4) में यथा-विनिर्दिष्ट	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "क" राजपत्रित (अनु-सचिवीय वैज्ञानिक और तकनीकी)	2200-75-2800-द.रो.-100-4000 रु.	चयन	35 वर्ष से अधिक नहीं (केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी सेवाओं के लिए पांच वर्ष तक शिथिल की जा सकती है।)	नहीं
					<p>टिप्पणः—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख भारत में अभ्यर्थियों से आवेदन प्राप्त करने के लिए नियत की गई अंतिम तारीख होगी।) न कि वह अंतिम तारीख जो असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, मिक्किम, जम्मू-कश्मीर राज्य के लद्दाख खंड, हिमाचल प्रदेश के लाहोल और स्पीति जिले तथा चम्बा जिले के पांगी उपखंड अंडमान और निकोबार द्वीप या लक्षद्वीप के अभ्यर्थियों के लिए विहित की गई है।)</p>	
			(8)	(9)	(10)	
आवश्यक :			आयु : नहीं		दो वर्ष	
(i) किसी मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालय से विज्ञान में मास्टर डिग्री या इंजीनियरी में डिग्री या समतुल्य।			शैक्षिक अर्हताएं : हां			
(ii) जलोत्का-विज्ञान कार्य में तीन वर्ष का अनुसंधान अनुभव।						
टिप्पणः—शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव का क्षेत्र, कार्य, भर्ती के समय अपेक्षा के अनुसार विनिर्दिष्ट किया जाएगा।						
टिप्पण 1:— अर्हताएं अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवकानुसार शिथिल की जा सकती है।						

(8)

टिप्पण 2 :—अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों या अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब गिथिल की जा सकती है (हैं) जब चयन के किसी प्रक्रम पर संघ लोक सेवा आयोग की यह राय है कि उनके लिए अपरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

(11)

(12)

- (i) 50 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा (जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है) और दोनों के न हो सकने पर सीधी भर्ती द्वारा।
- (ii) 50 प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा।

प्रोन्नति:

ऐसे ज्येष्ठ तकनीकी सहायक (जलोलका-विज्ञान) जिन्होंने उस श्रेणी के पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण:

(जिसके अन्तर्गत अल्पकालिक संविदा भी है)

केन्द्रीय सरकार/राज्य सरकारों/विश्वविद्यालयों/मान्यताप्राप्त अनुसंधान संस्थाओं/पब्लिक सेक्टर उपक्रमों/अर्द्ध सरकारी/कानूनी या न्यायसी संगठनों के अधीन ऐसे अधिकारी :—

- (क) (i) जो नियमित आधार पर सदृश पद धारण किए हुए हैं, या
- (ii) जिन्होंने 2000—3500 रु. या समतुल्य वेतनमान वाले पदों पर तीन वर्ष नियमित सेवा की है, और
- (ख) जिनके पास स्तंभ (8) के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अधिकृत शैक्षिक अर्हताएं और अनुभव हैं।

(पौषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में हैं प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे)।

(प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग के इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काइर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है साधारणतया तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।)

प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

(13)

(14)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष/सदस्य, संघ लोक सेवा आयोग--अध्यक्ष
2. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय  
--सदस्य
3. मुख्य जल भूविज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति (पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए) :

1. अध्यक्ष, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--  
--अध्यक्ष
2. मुख्य जल भूविज्ञानी, केन्द्रीय भूमि जल बोर्ड, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य
3. उप सचिव, जल संसाधन मंत्रालय--सदस्य

टिप्पणः--पुष्टि से संबंधित विभागीय प्रोन्नति समिति की कार्य-वाहियां, आयोग के अनुमोदनार्थ भेजी जाएंगी। किन्तु, यदि आयोग उनका अनुमोदन नहीं करता है तो विभागीय प्रोन्नति समिति की बैठक संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी सदस्य की अध्यक्षता में फिर से होगी।

[फाइल सं. 21/6/91-जी डब्ल्यू]

राजन्द्र मिश्र, उप सचिव

## MINISTRY OF WATER RESOURCES

New Delhi, the 28th June, 1995

G.S.R. 333.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to Group 'A' Scientific posts in the Central Ground Water Board, namely :—

1. Short-title and commencement.—(1) These rules may be called the Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.—In these rules unless, the context otherwise requires,—

(a) "Commission" means the Union Public Service Commission ;

(b) "Controlling Authority" means the Government of India in the Ministry of Water Resources ;

(c) "Departmental Promotion Committee" means a Committee constituted to consider promotion|confirmation in any grade ;

(d) "Government" means the Government of India in the Ministry of Water Resources ;

(e) "Schedule" means the Schedule annexed to these rules.

(f) "Regular Service" in relation to any grade means the period or periods of service in that grade rendered after selection and appointment thereto under these rules and includes any period or periods—

(i) taken into account for the purpose of seniority in the case of those appointment at the initial constitution of the service ;

(iii) during which an officer would have held a duty post in that grade but for being on leave or otherwise not being available for holding such post ;

(g) "Scheduled Castes" and "Scheduled Tribes" shall have the same meaning as assigned to them in clauses (24) and (25) respectively of article 366 of the Constitution ;

3. Application.—These rules shall apply to the posts specified in column (1) of the Schedule.

4. Number of posts, classification and scale of pay.—The number of the said posts, their classification and the scale of pay attached thereto shall, save as provided in rule 7, be as specified in columns (2) to (4) of the Schedule.

5. Initial constitution.—(1) All Group 'A' officers working in the Central Ground Water Board on a regular basis on the date of commencement of these rules, and holding the posts specified in column 1 of the Table carrying the scales of pay specified in corresponding entries in column 2 of the said Table, shall be redesignated as specified in the corresponding entries in column 3 thereto and shall be deemed to have been appointed at the initial constitution to the said posts.

TABLE

Name of the post	Scale of pay	Designation of the new posts
1	2	3
1. Director, Superintending Chemist, Superintending Geophysicist, Superintending Hydrologist.	Rs. 3700-125-4700- 150-5000/-.	Scientist 'D'
2. Senior Hydrogeologist, Senior Geophysicist, Senior Chemist, Senior Hydrologist.	Rs. 3000-100-3500- 125-4580/-.	Scientist 'C'
3. Junior Hydrogeologist, Junior Geophysicist, Chemist, Hydro-meteorologist.	Rs. 2200-75-2800- EB-100-4000/-.	Scientist 'B'

(2) The regular continuous service of officers referred to in sub-rule (1), prior to their appointment to the newly designated posts of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D', shall count for the purpose of probation period, qualifying service for promotion confirmation and pension.

6. Method of recruitment, age-limit and other qualifications.—The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns (5) to (14) of the Schedule.

7. Future maintenance.—(1) The assessment Board as specified in the Schedule to the various posts shall meet at least once a year and shall consider the cases of all departmental officers, who have rendered the requisite qualifying service in the respective grade on the 1st January of the year following the year to which the departmental officers have become eligible for in situ promotion wherever applicable, to assess their suitability for promotion to the next higher grade.

(2) The system of flexible complementing and "in situ" promotions shall be followed in the matter of promotion of departmental officers in the grades of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D' to the respective higher grades, namely, Scientist 'C' and Scientist 'D' subject to the following conditions, namely :—

(a) The total number of officers taken together shall not exceed the total number of posts in the grades of Scientist 'B', Scientist 'C' and Scientist 'D' at any given point of time but there shall be complete flexibility in the number of posts in relation to the respective grades.

(b) The departmental officers who have rendered in the respective grade the requisite regular service specified in column (12) of the Schedule may be recommended by the Board of Assessment comprising the officers specified in column (13) of the Schedule for promotion to the next higher grade. While evaluating the suitability of the officers for promotion, the Assessment Board shall take into consideration their qualifications, performance, merit and seniority. The selection shall be on basis of confidential reports and interview. However, the Assessment Board, may at their discretion, consider in absentia the candidature of such officer who is unable to present himself for the interview. The Assessment Board shall draw up a list of officers who are assessed as fit for promotion to the next higher grade. In so far as persons undergoing training in India or abroad (under F.R. 51) are concerned, they shall be promoted to the next higher grade with effect from the date they would have been so promoted had they not proceeded on training subject to the following conditions being fulfilled :—

(i) The period of such training is treated as duty under F.R. 9(6)(b).

(ii) they have been approved for promotion to the next higher grade.

(iii) all their seniors, except those regarded as unfit for promotion to the particular grade, available have been promoted to that grade.

(3) (a) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrogeology discipline shall be 276. The senior most 16 Officers in



the grade of Scientist 'D' shall be functionally deployed as Director. The next senior most 91 Officers in the grades of Scientist 'D' and Scientist 'C' shall be functionally deployed as Senior Hydrogeologist and the remaining Officers shall be functionally deployed as Junior Hydrogeologist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 276 Officers in the Hydrogeology discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist) provided the total strength of Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist) does not exceed 160. This total number of 276 posts is subject to variation depending on workload.

(b) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Junior Geophysicist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Geophysical discipline shall be 23. The senior most Scientist 'D' in the Geophysical discipline shall be functionally deployed as Superintending Geophysicist and the next 5 senior most officers in the grades of Scientist 'D' and Scientist 'C' shall be functionally deployed as Senior Geophysicist and the remaining officers shall be deployed as Junior Geophysicist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 23 officers in the Geophysical discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Junior Geophysicist) provided the total strength of Scientist 'B' (Junior Geophysicist) does not exceed 17. This total number of 23 posts is subject to variation depending on workload.

(c) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Hydrometeorologist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrometeorology discipline shall be 7. All the 7 officers in the Hydrometeorology discipline shall be functionally deployed as Hydrometeorologist. The shortfall occurring in a year shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Hydrometeorologist). This total number of 7 posts is subject to variation depending on workload.

(d) The total number of posts in the grades of Scientist 'B' (Chemist), Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Chemical discipline shall be 19. The senior most Scientist 'D' in the Chemical discipline shall be functionally deployed as Superintending Chemist and the next 3 senior most officers in the grades of Scientist 'D' and Scientist 'C' in the Chemical discipline shall be functionally deployed as Senior Chemist and the remaining officers shall be functionally deployed as Chemist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 19 officers in the Chemical discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'B' (Chemist) provided the total strength of Scientist 'B' (Chemist) does not exceed 15. This total number of 19 posts is subject to variation depending on workload.

(e) The total number of posts in the grades of Scientist 'C' and Scientist 'D' put together in Hydrology discipline shall be 8. The senior most Scientist 'D' in the Hydrology discipline shall be functionally deployed as Superintending Hydrologist and the remaining Officers shall be functionally deployed as Senior Hydrologist. The shortfall occurring in a year in the total strength of 8 officers in the Hydrology

discipline shall be the vacancies arising in that particular year in the grade of Scientist 'C' provided the total strength of Scientist 'C' does not exceed 7. This total number of 8 posts is subject to variation depending on workload.

(4) The Government may, in consultation with the Commission include in these rules any post other than those included in the Schedule or exclude from these rules a post included in the said Schedule.

(5) The Government may, in consultation with the Commission, appoint an officer, whose post is included in these rules under sub-rule (4), to the appropriate grade in a temporary capacity or in a substantive capacity, as may be deemed fit, and fix his seniority in the grade after taking into account continuous regular service in the analogous grade.

(6) Senior Hydrologist who had put in 5 years' regular service in that grade as on 1-1-1988 shall be assessed for notional promotion as Scientist 'D' w.e.f. 30th June, 1988.

8. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or
- (b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person.

shall be eligible for appointment to the service:

Provided that the Controlling Authority may, if satisfied that such a marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and there are other grounds for so doing, exempt any person from the operation of this rule.

9. Grades Strength and its review.—(1) The duty posts included in the various grades, their number and scales of pay on the date of commencement of these rules shall be as specified in the Schedule.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-rule (1) the Government may,—

- (a) from time to time, make temporary additions to or alternations in the duty posts in various grades;
- (b) in consultation with the Commission, include in the Service allied posts (other than those included in the Schedule) or exclude from the Service a post included in the Schedule; and
- (c) in consultation with the Commission, appoint an officer to a duty post included in the Service under clause (b) above to the appropriate grade on a regular basis and fix his seniority in the grade after taking into account his continuous regular service in the analogous grades.

10. Seniority.—(1) The relative seniority of members of the Service appointed to a grade/respective sub-cadres at the time of initial constitution of the service under rule 5, shall be as obtaining on the date of commencement of these rules:

Provided, that if the seniority of such member had not been specifically determined on the said date, the same shall be determined on the basis of rules governing the fixation of seniority as were applicable to the members of the service prior to the commencement of these rules.

(2) The seniority of persons recruited to the Service after the initial constitution shall be determined in accordance with the general orders and instructions issued by the Government in this behalf from time to time.

(3) The seniority of any person, not covered by sub-rules (1) and (2), shall be determined by the Controlling Authority in consultation with the Commission.

11. Probation.—(E) Every officer on appointment to the posts in the Junior Time Scale of the Service, either by direct recruitment or by promotion shall be on probation for a period of two years :

Provided that the Controlling Authority may extend the period of probation in accordance with the orders and instructions issued by the Government from time to time in this behalf :

Provided also that any decision for extension of a probation period shall be taken immediately after the expiry of initial period of probation and ordinarily within eight weeks and communicated in writing to the concerned officer together with reasons for so doing within the said period.

(2) On completion of the period of probation or any extension thereof, officers shall, if considered fit for permanent appointment, be confirmed against the post in terms of the orders of the Government.

(3) If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, Government may discharge the officer or revert him to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

(4) During the period of probation or any extension thereof the officer may be required by the Government to undergo such course of training or to pass such examinations or tests (including examination in Hindi) as the Government may deem fit, as a condition to the satisfactory completion of probation.

(5) As regards other matters relating to probation, the members of the Service shall be governed by

the orders or instructions issued by the Government from time to time in this regard.

12. Appointment to the Service.—All the appointments to the posts in various grades shall be made by the Controlling Authority.

13. Liability for Service in any part of India and other conditions of Service.—(1) Officers appointed to the Service shall be liable to serve anywhere in India or outside.

(2) The other conditions of Service of the members in respect of matters for which no provision is made in these rules shall be the same as are applicable, from time to time, to Group 'A' Officers of the Central Civil Services in general.

14. Power to relax.—Where Controlling Authority is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order, for reason to be recorded in writing and in consultation with the Commission, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

15. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age-limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-serviceman and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

16. Interpretation.—If any question relating to the interpretation of these rules arises, it shall be decided by the Government in consultation with the Commission.

17. Repeal.—The following recruitment rules in so far as they relate to the posts included in the Schedule to these rules are hereby repealed.

- (1) The Exploratory Tubewells Organisation (Class I and Class II Services) Recruitment Rules, 1963.
- (2) The Central Ground Water Board (Superintending Hydrologist) Recruitment Rules, 1980.
- (3) The Central Ground Water Board (Scientific Group 'A' Posts) Recruitment Rules 1987.

Provided that such repeal shall not affect anything done or omitted to be done under the said rules before such repeal.

#### SCHEDULE

Name of Post	Number of Posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Scientist 'D'.	Rs specified in sub-rule (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial	Rs. 3700-125-4700-150-5000/-	Selection	Not exceeding 50 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instruc-

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Scientific and Technical.			tions or orders issued by the Central Government). Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahmul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).
Whether benefit of added years of services admissible under rules 39 of the Central Civil Services (Pension) Rules, 1972		Educational and other qualifications required for direct recruits			Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees
(7)			(8)		(9)
Yes.		<p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree in Science in the required discipline or degree in Civil Engineering from the recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) 18 years' experience in field work, research or teaching in the relevant field.</p> <p>Note : The particular discipline in which the educational qualification and areas in which experience are required shall be specified according to the requirement at the time of each direct recruitment.</p> <p>Note : 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note : 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p> <p>Desirable:</p> <p>Doctorate Degree in the relevant subject from a recognised University or equivalent.</p>		Age : No. Educational qualifications : Yes	

Period of probation, if any	Method of recruitment: Whether by direct recruitment or by promotion or by deputation/transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods	In the case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which promotion/deputation/transfer to be made
(10)	(11)	(12)
1 year for direct recruits.	By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/direct recruitment. (The particular method of recruitment at any point of time to be decided by the Government in consultation with the Commission in the light of qualifications and experience required for the particular post keeping in view the job requirement of the scheme).	<p>Promotion: Scientist 'C' with 5 years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation: (including short-term Contract) Officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research-Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations :</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis ; or</p> <p>(ii) with 4 years' regular service in post in the scale of Rs. 3000-5000/- or equivalent; and</p> <p>(iii) with 5 years' regular service in post in the scale of Rs. 3000-4500/- or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 4 years).</p> <p>The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

If a Departmental Promotion Committee exists, what is its Composition	Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
---	---

(13)

(14)

Board of Assessment (for considering promotion):

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—  
—Chairman.
2. Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner,  
Ministry of Water Resources—Member.
3. Chairman, Central Ground Water Board—Member.
4. Two or more experts to be nominated by the  
Commission—Members.

Note : 1. Absence of any Member other than Chairman will not vitiate the proceedings of the Board.

Note : 2. The proceedings of the Board will be subject to approval by the Commission.

Note : 3. The date from which the recommendations of the Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Additional Secretary, Ministry of Water Resources—  
Chairman.
2. Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water  
Resources—Member.
3. Chairman, Central Ground Water Board—Member.

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. Scientist 'C'.	As specified in sub-rules (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial-Scientific and Technical).	Rs. 3000-100-3500-125-4500/-.	Selection.	Not exceeding 40 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal

(6)

Pradesh, Mizoram, Manipur,  
Nagaland, Sikkim, Ladakh  
Division of Jammu and Kashi-  
mir State, Lahaul and Spiti  
District and Pangi Sub-Division  
of Chamba District of Himachal  
Pradesh, Andaman and Nicobar  
Islands or Lakshadweep).

(7) (8) (9)

Yes. For Hydrology Discipline.  
Essential:

Age : No.

(i) Master's degree in Geology or Hydrology or degree in Civil Engi-  
neering from a recognised University or equivalent.

Educational

Qualifications : Yes.

(ii) 5 years Practical experience in Hydrology preferably in ground  
water Hydrology.

For other disciplines.

Essential:

(i) Master's degree in Science in the required discipline from a  
recognised university or equivalent;

(ii) 5 years' experience in field work, research/teaching in the relevant  
field.

Note: The particular discipline in which the educational qualification  
and areas in which experience are required shall be specified  
according to the requirement at the time of each direct recruitment.

Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union  
Public Service Commission in the case of candidates otherwise  
well qualified.

Note 2. The qualification(s) regarding experience is relaxable at the  
discretion of the Union Public Service Commission in the  
case of candidates belonging to the Scheduled Castes and  
Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public  
Service Commission is of the opinion that sufficient number of  
candidates from these communities possessing the requisite  
experience are not likely to be available to fill up the vacancies  
reserve for them.

Desirable:

Doctorate Degree in the relevant subject from a recognised University  
or equivalent.

(For Hydrology Discipline)

Experience in different methods employed in the ground water  
exploration.

(10)	(11)	(12)
1 year for direct recruits and promotee officers.	<p>For Hydrology Discipline:</p> <p>(i) 50% by promotion failing which by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment.</p> <p>For other disciplines: :</p> <p>By promotion/transfer on deputation (including short-term contract)/direct recruitment. (The particular method of recruitment at any point of time to be decided by the Government in consultation with the Commission in the light of qualifications required for the particular post keeping in view the job requirement of the same).</p>	<p>For Hydrology Discipline:</p> <p>Promotion: Junior Hydrologist with 8 years' service in the grade rendered after appointment thereto on a regular basis.</p> <p>For other disciplines :</p> <p>Promotion: Scientist 'B' with 5 years regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation: (including short-term contract): Officers under the Central/State Governments Universities/Recognised Research Institutions Public Sector Undertakings/Statutory or Autonomous Organisations:—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis, or</p> <p>(ii) with 5 years' regular service in post in the scale of Rs. 2200-4000 or equivalent; or</p> <p>(iii) with 8 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualification and experience prescribed for direct recruits under column (8).</p> <p>(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years).</p> <p>The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>
(13)	(14)	
<p>Departmental Promotion Committee (for promotion for Hydrology discipline):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.</li> <li>2. Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member</li> <li>3. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.</li> </ol>	<p>Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.</p>	
<p>For other disciplines: (Board of Assessment)</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.</li> <li>2. Additional Secretary/Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member.</li> </ol>	

(13)

3. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.
4. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.
5. Two or more experts to be nominated by the Commission—Members.

Note 1. Absence of any Member other than Chairman will not vitiate the proceedings of the Board.

Note 2. The proceedings of the Board will be subject to approval by the Commission.

Note 3. The date from which the recommendations of the Board will be effective shall be decided in consultation with the Commission.

For all disciplines:

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Additional Secretary, Ministry of Water Resources—Chairman.
2. Joint Secretary/Commissioner, Ministry of Water Resources—Member.
3. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)
3. Scientist 'B' (Junior Hydrogeologist).	As specified in sub-rules (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial Scientific and Technical).
(4)	(5)	(6)
Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).
		Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep;



(7)	(8)	(9)
No	<p>(i) For direct recruitment on the result of the Geologists' Examination :— Master of Science degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent or any other qualifications, the standard of which in the opinion of the Union Public Service Commission is held to be justifying the admission of a candidate to the Geologists' Examination.</p> <p>(ii) For direct recruitment on the basis of Selection by Interview.</p> <p>Essential :</p> <p>(a) Master of Science degree in Geology or Applied Geology from a recognised University or equivalent.</p> <p>(b) 3 years' experience in Hydrogeological/ Geological Investigations.</p> <p>Desirable :</p> <p>Experience of groundwater surveys and sampling, interpretation of borehole data and independent Geological Mapping.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes.</p>
(10)	(11)	(12)
2 years	<p>(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment on the results of the Geologists' Examination conducted by the Union Public Service Commission failing which on the basis</p>	<p>Promotion : Assistant Hydrogeologists with 3 years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation (including short-term contract) :</p> <p>Officers under the Central /State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Governments/Statutory or</p>

(10)	(11)	(12)
of selection by interview.		Autonomous Organisations :—
		(a)(i) holding analogous posts on a regular basis; or
		(ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500 or equivalent; and
		(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column (8).
		(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion.)
		(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years.)
		The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.
(13)		(14)
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion) :		Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.
1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman		
2. Chairman Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources	—Member	
3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources	—Member	
Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation) :		
1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources	—Chairman	
2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources	—Member	
3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources	—Member	
<p>Note :—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.</p>		

1	2	3	4	5	6
4. Scientist 'B' (Junior Geophysicist).	As specified in sub-rules (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial Scientific and Technical).	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh Andaman and Nicoba Islands or Lakshadweep.)

7	8	9
No	Essential:	Age : No.
	(i) Master's degree in Physics/Applied Physics/Radio Physics and Electronics/Geophysics/Applied Geophysics/Geology/Applied Geology from a recognised University or equivalent;	Educational Qualifications : Yes
	(ii) 3 year's research and/or practical experience in the electronics aspects of Geophysical Instrumentation and repairs of such instruments;	
	OR	
	3 years' experience in the actual conduct and interpretation of Geophysical Survey work, particularly with reference to ground water.	
	Note: 1. A candidate holding a Masters' degree in Geology or Applied Geology should have had Physics as one of the subjects at the Bachelor of Science Degree Examination of a recognised University or equivalent.	
	Note: 2. Specific experience requirement under educational qualifications (ii) to be indicated on each occasion at the time of recruitment.	
	Note: 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.	

Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

10	11	12
2 years	<p>(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including shortterm contract) and failing both by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment.</p>	<p>Promotion: Senior Technical Assistant (Geophysics) with 5 years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation: (including short-term contract)</p> <p>Officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:-</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under column (8).</p> <p>(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years.)</p> <p>The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman
2. Chairman, Central Ground Water Board,  
Ministry of Water Resources

Selection on each occasion shall be made in consultation, with the Union Public Service Commission.

3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board,  
Ministry of Water Resources—Member

Group 'R' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Chairman, Central Ground Water Board,  
Ministry of Water Resources—Chairman.
2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board,  
Ministry of Water Resources—Member.
3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources—Member.

Note:- The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. Scientist 'B' (Chemist)	As specified in sub-rules (3) and (4) of rule 7.	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial Scientific and Technical).	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000/-.	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government). Note: The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangi Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
No.	<p>Essential:</p> <p>(i) Master's degree in Chemistry from a recognised University or equivalent.</p> <p>(ii) 3 year's experience in the chemical analysis of water samples and interpretation of relevant data.</p> <p>Note 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No.</p> <p>Educational Qualifications : Yes.</p>

(10)	(11)	(12)
2 years.	<p>(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment.</p>	<p>Promotion: Assistant Chemist with 3 years' regular-service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation: (including short-term contract). Officers under the Central/State Governments, Universities/ Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/ Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations:—</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale of Rs. 2000-3500/- or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Column (8).</p> <p>(The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion).</p> <p>(Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years).</p> <p>The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>

(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering promotion):

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission—Chairman.
2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.
3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.

Group 'A' Departmental Promotion Committee (for considering confirmation):

1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Chairman.
2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources—Member.
3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources—Member.

Note:—The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6. Scientist 'B' (Hydro-meteorologist).	As specified in sub-rules (3) & (4) of rule 7	General Central Service, Group 'A', Gazetted, (Non-Ministerial Scientific and Technical)	Rs. 2200-75-2800-EB-100-4000.	Selection	Not exceeding 35 years (Relaxable for Government servants upto 5 years in accordance with the instructions or orders issued by the Central Government).

Note : The crucial date for determining the age-limit shall be the closing date for receipt of applications from candidates in India (and not the closing date prescribed for those in Assam, Meghalaya, Arunachal Pradesh, Mizoram, Manipur, Nagaland, Sikkim, Ladakh Division of Jammu and Kashmir State, Lahaul and Spiti District and Pangj Sub-Division of Chamba District of Himachal Pradesh, Andaman and Nicobar Islands or Lakshadweep).

(7)	(8)	(9)
No.	<p>Essential :</p> <p>(i) Master's degree in Science or Degree in Engineering from a recognised University or equivalent;</p> <p>(ii) 3 years' research experience in Hydrometeorology work.</p> <p>Note : The educational qualifications and field/area of experience shall be specified according to recruitment at the time of recruitment.</p> <p>Note 1 : Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of the candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note 2 : The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes if, at any stage of selection, the Union Public Service Commission is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.</p>	<p>Age : No</p> <p>Educational Qualifications : Yes.</p>
(10)	(11)	(12)
2 years.	<p>(i) 50% by promotion failing which by transfer on deputation (including short-term contract) and failing both by direct recruitment.</p> <p>(ii) 50% by direct recruitment.</p>	<p>Promotion :</p> <p>Senior Technical Assistant (Hydro-meteorology) with 5 years' regular service in the grade.</p> <p>Transfer on deputation : (including short-term contract) :</p> <p>Officers under the Central/State Governments/Universities/Recognised Research Institutions/Public Sector Undertakings/Semi-Government/Statutory or Autonomous Organisations: —</p> <p>(a) (i) holding analogous posts on a regular basis; or (ii) with 3 years' regular service in posts in the scale Rs. 2000—3500/- or equivalent; and</p> <p>(b) Possessing the educational qualifications and experience laid down for direct recruits under Col. 8). (The departmental officers in the feeder grade who are in the direct line of promotion will not be eligible for consideration for appointment on deputation. Similarly, deputationists shall not be eligible for consideration for appointment by promotion). (Period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the same or some other organisation/department of the Central Government shall not exceed 3 years).</p> <p>The maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not be exceeding 56 years as on the closing date of receipt of applications.</p>



(13)

(14)

Group 'A' Departmental Promotion Committee  
(for considering promotion) :

1. Chairman/Member, Union Public Service Commission. — Chairman
2. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources. --- Member
3. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources. --- Member

Group 'A' Departmental Promotion Committee  
(for considering confirmation) :

1. Chairman, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources. --- Chairman
2. Chief Hydrogeologist, Central Ground Water Board, Ministry of Water Resources. — Member
3. Deputy Secretary, Ministry of Water Resources— Member

Note : The proceedings of the Departmental Promotion Committee relating to confirmation shall be sent to the Commission for approval. If, however, these are not approved by the Commission a fresh meeting of the Departmental Promotion Committee to be presided over by the Chairman or a Member of the Union Public Service Commission shall be held.

Selection on each occasion shall be made in consultation with the Union Public Service Commission.

[File No. 21.6/91 -GW]

RAJENDRA MISRA, Dey, Secy.

संचार मंत्रालय

नई दिल्ली, 21 जून 1995

सा.का.नि. 334:- राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और दूरसंचार विभाग, सिविल इंजीनियरी पक्ष (फेरोमट्रक और ज्येष्ठ तकशानवीम (विद्युत) और कनिष्ठ तकशानवीम (विद्युत) भर्ती नियम 1989 और दूरसंचार विभाग, सिविल इंजीनियरी खंड (फेरोमट्रक और ज्येष्ठ तकशानवीम (सिविल) तथा कनिष्ठ तकशानवीम (सिविल) भर्ती नियम, 1989 का उन बातों के सिवाय अधिकांत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण में पहले किया गया है या करने का खोप किया गया है संचार मंत्रालय के दूरसंचार विभाग के सिविल इंजीनियरी पक्ष में फेरोमट्रक और तकशानवीम (सिविल) और तकशानवीम (विद्युत) के पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ : (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम दूरसंचार विभाग सिविल इंजीनियरी पक्ष (फेरोमट्रक, तकशानवीम (सिविल) और तकशानवीम (विद्युत) भर्ती नियम, 1995 है।
- (2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. पद संख्या वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतनमान ये होंगे, जो उक्त नियमों में उपावृद्ध अनुसूची के स्तम्भ 2 में स्तम्भ 4 में विनिर्दिष्ट हैं।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति आयु सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 में स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति-

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है विवाह किया है, या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होने हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है।

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आश्वासन है तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन में हट दे सकेगी।

5. इन नियमों के अधीन विद्यमान नकशानवीस का विनियमन : इन नियमों के प्रकाशन से, दूरसंचार विभाग के सिविल पक्ष में नकशानवीस (सिविल) और नकशानवीस (विद्युत) के काडर की तीन श्रेणियां होंगी अर्थात् नकशानवीस श्रेणी-1 नकशानवीस श्रेणी-2 और नकशानवीस श्रेणी-3, जिनकी भर्ती अर्हताएं और वेतनमान वही होंगे जो केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग में हैं। योजना प्रभाग में ज्येष्ठ नकशानवीस (सिविल) और ज्येष्ठ नकशानवीस (विद्युत) के विद्यमान पद को नकशानवीस श्रेणी-1 के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा और योजना प्रभाग में कनिष्ठ नकशानवीस को नकशानवीस श्रेणी-3 के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा। संनिर्माण प्रभाग में कनिष्ठ नकशानवीस का पद नकशानवीस श्रेणी-2 के रूप में पुनः पदाभिहित किया जाएगा। इन श्रेणियों में पदों की संख्या, वेतनमान और भर्ती की पद्धति वही होगी जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं। ऐसे विद्यमान ज्येष्ठ नकशानवीस (सिविल) और ज्येष्ठ नकशानवीस (विद्युत) जिन्हें नकशानवीस श्रेणी-1 के पुनरीक्षित वेतनमान अनुदत्त कर दिए गए हैं, नकशानवीस श्रेणी-1 के पद पर ऐसे पदों की उपलब्धता की सीमा तक समायोजित किए जाएंगे। उन नकशानवीसों को, जिन्हें पदों की अधिकता में अभिज्ञात किया गया है, नकशानवीस श्रेणी-2 के पदों की बराबर संख्या में अस्थायी रूप से उनके लिए निजी तौर पर उन्नत करके नकशानवीस श्रेणी-1 के वेतनमान में बने रहने दिया जाएगा। ऐसे नकशानवीस इन नियमों के अधीन नियमित रूप में प्रोन्नत ज्येष्ठ नकशानवीस द्वारा पद रिक्त करने पर नकशानवीस श्रेणी-1 के पद की उपलब्धता पर, नकशानवीस श्रेणी-1 की श्रेणी में नियमित रूप से नियुक्त किए जाएंगे। केवल सभी अतिरिक्त पदधारियों की नकशानवीस श्रेणी-1 के पद पर नियुक्ति के पश्चात् नकशानवीस श्रेणी-1 की श्रेणी में होने वाली रिक्ति, नकशानवीस श्रेणी-2 की प्रोन्नति द्वारा भरी जायेगी जब भी अतिरिक्त पद धारी नकशानवीस श्रेणी-1 के अभिज्ञात पदों पर नियुक्त हो जाते हैं। तब ऐसे पदधारियों का समायोजित करने के लिए अस्थायी उन्नत नकशानवीस श्रेणी-2 के पद, स्वतः अवनत हो जाएंगे और नकशानवीस श्रेणी-2 में पुनः प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

इसी प्रकार, ऐसे कनिष्ठ नकशानवीस जो नकशानवीस श्रेणी-2 के वेतनमान में हैं उपरोक्त िति में नकशानवीस श्रेणी-2 की श्रेणी में समायोजित और नियुक्त हो जाएंगे। वे कनिष्ठ नकशानवीस जो नकशानवीस श्रेणी-2 की अधिकता में अभिज्ञात किए गए हैं, नकशानवीस श्रेणी-3 के पदों की बराबर संख्या के अस्थायी रूप में उनके लिए निजी तौर पर उन्नत करके इन नियमों के अधीन नकशानवीस श्रेणी-2 के रूप में समायोजित किए जाएंगे। जब भी वे नियमित पदों पर समायोजित हो जाते हैं, अस्थायी रूप से उन्नत पद समाप्त हो जाएंगे और पद नकशानवीस श्रेणी-3 के रूप में पुनः प्रत्यावर्तित हो जाएंगे।

6. शिथिल करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखाबद्ध करके इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी।

7. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिसका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गये आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपाबद्ध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या वर्गीकरण	वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
1	2	3	4	5	6
1. नकशानवीस श्रेणी-1 (सिविल)	51 * (1995) साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपक्षित अननुसचिवीय	1600-50-2300 द.रो.-60-2660 रु.	अचयन	नहीं	नाग नहीं होता

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए परीक्षा की अवधि यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11

12

शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा

ऐसे नक्शानवीस श्रेणी-2 (सिविल) (1400-2300 रु.) में से, जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना

भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श लिया जाएगा

13

14

प्रोन्नति के सम्बन्ध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता

1. अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) --अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) --सदस्य
3. दूरसंचार सर्किल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समूह "क" अधिकारी --सदस्य

1

2

3

4

5

6

7

2. नक्शानवीस श्रेणी-1 (विद्युत) 20\* (1995) \*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है। साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" द.रो.-60-अराजपत्तित 2660 रु. अननुसन्धिवीय अचयन नहीं लागू नहीं होता

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

11	12
शत प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा	ऐसे नक्शानवीस श्रेणी-2 (विद्युत्) (1400-2300 रु.) जिन्होंने उस श्रेणी में चार वर्ष नियमित सेवा की है
(13)	14

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिये समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

1. अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत्)—अध्यक्ष
2. कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) या संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत्)—सदस्य
3. दूरसंचार सर्किल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समूह "क" अधिकारी—सदस्य

लागू नहीं होता

1	2	3	5	6	6	7
3. नक्शानवीस श्रेणी-2 (सिविल)	93* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसूचित वर्गों पर परिचालन किया जा सकता है।	1400-40-1800-द.रो.-50-2300 रु.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष। (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों, अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये गिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पणी:—आयु सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिये कहा गया है
	8		9			10

(1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य

लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्ति के लिये दो वर्ष।

(2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य मान्यताप्राप्त संस्था से नक्शानवीस (सिविल) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण पत्र

(3) किसी ख्याति प्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।

टिप्पणी:—अनुभव संबंधी अहंता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार उनके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तय गिथिल की जा सकती है। जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

शतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा जिनके न होने पर --- ऐसे नक्शानवीस श्रेणी-3 (सिविल) (1400-2300 रु.) में से सीधे भर्ती द्वारा। जिन्होंने उस श्रेणी में पांच वर्ष नियमित सेवा की है।

13

14

सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति लागू नहीं होता

पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिये समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

- (1) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल)—अध्यक्ष
- (2) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकम सर्वेक्षक (सिविल)  
—सदस्य
- (3) दूरसंचार सर्किल द्वारा नाम निर्दिष्ट कोई समूह "क"  
अधिकारी—सदस्य

1	2	3	5	5	6	7
4. नक्शानवीस श्रेणी-2 (विद्युत्)	48* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसर्चिवाय	1400-40-1800-ब.रो.-50-2300 रु.	अचयन नहीं		18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किये गये आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिये निर्धारण करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण:—आयु-सीमा अवधारित करने के लिये निर्णायक तारीख वह तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालय से नाम भेजने के लिये कहा गया है।

8	9	10
(1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य।	लागू नहीं होता	सीधे भर्ती किये जाने वाले व्यक्तियों के लिये ढों वर्ष।
(2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण, संस्थान या समतुल्य मान्यता प्राप्त संस्था से नक्शानवीस (विद्युत्)/(यांत्रिकी) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।		
(3) किसी उद्योग प्राप्त संगठन में इस क्षेत्र में तीन वर्ष का अनुभव।		
टिप्पण:—अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार उनके लिये जो कारण है उन्हें लेखबद्ध करके अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दगा में तब प्रिथिल की जा सकती है, जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिये आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिये अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।		

11

12

गतप्रतिशत प्रोन्नति द्वारा, जिसके त हो सकने पर सीधे भर्ती जाग।

ऐसे नक्शानवीस श्रेणी-3 (विद्युत्) (1200-2040/-र.) में से जिन्होंने उम श्रेणी में पांच वर्ष निभमित सेवा की है।

13

14

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे।

लागू नहीं होता।

- (i) अधीक्षण इंजीनियर (विद्युत्) —अध्यक्ष  
 (ii) कार्यपालक इंजीनियर (विद्युत्) या संकर्म सर्वेक्षक (विद्युत्) —सदस्य  
 (iii) दूरसंचार संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई समूह "क" अधिकारी —सदस्य

1	2	3	4	5	6	7
5. नकशानवीस श्रेणी 3 (सिविल)	204* (1995) *कार्य भार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अराजपत्रित, अननुसन्धिवीय	1200-30-1560-द. रो.-2040/-र.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यर्थियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है)। टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8

9

10

- (1) किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य  
 (2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य मान्यताप्राप्त संस्था से नकशानवीस (सिविल) में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए दो वर्ष।

बोध्यनीय :—नकशानवीस के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार उनके लिए जो कारण हैं उन्हें लिखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समूहों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में अभाव होने की संभावना नहीं है।

11

12

- (i) 90 प्रतिशत रोजगार कार्यालय के माध्यम से सीधी एम्प्लॉयमेंट फेरो एड्रकों में से जिन्होंने उम्र क्षेत्र में 8 वर्ष नियमित सेवा भर्ती द्वारा, की है।  
और इस प्रयोजन के लिए विहित परीक्षण उत्तीर्ण करने के अधीन रहते हुए प्रोन्नति।
- (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा।

13

14

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति/पुष्टि के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे:—

नागू नहीं होता

- (i) अधीक्षण इंजीनियर (सिविल) —अध्यक्ष  
(ii) कार्यपालक इंजीनियर (सिविल) या संकर्म सर्वेक्षक (सिविल) —सदस्य  
(iii) दूरसंचार संचालक द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई समूह "क" अधिकारी —सदस्य

1

2

3

4

5

6

7

6. नक्शानवीस श्रेणी 3 (विद्युत्)	80* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" अराजपत्रित अननुसर्चिवीय	1200-30-1560-द. रो. 40-2040/-र.	अचयन	नहीं	18 से 25 वर्ष (केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में जारी किए गए आदेशों/अनुदेशों के अनुसार विभागीय अभ्यासियों के लिए शिथिल करके 40 वर्ष तक की जा सकती है।)
----------------------------------	---	---	---------------------------------	------	------	--

टिप्पण :—आयु-सीमा अवधारित करने के लिए निर्णायक तारीख वह अंतिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों में नाम भेजने के लिए कहा गया है।

8

9

10

- (1) किसी मान्यताप्राप्त बोर्ड/विश्वविद्यालय से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य, और
- (2) किसी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान या समतुल्य मान्यताप्राप्त संस्था से नक्शानवीसी (विद्युत्) यांत्रिक में दो वर्षीय डिप्लोमा/प्रमाणपत्र।
- वांछनीय :—नक्शानवीस के रूप में एक वर्ष का अनुभव।

टिप्पण :—अनुभव संबंधी अर्हता केन्द्रीय सरकार के विवेकानुसार उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्यर्थियों की दशा में तब शिथिल की जा सकती है जब चयन के किसी प्रक्रम पर केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्यर्थियों के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

11

12

- (i) 90 प्रतिशत रोजगार कार्यालयों के माध्यम से सीधी एमि फेरो मुद्रकों में से जिन्होंने उस क्षेत्र में 8 वर्ष नियमित भर्ती द्वारा, सेवा की है।  
 और इस प्रयोजन के लिए विहित परीक्षण उन्नीर्ण करने के अधीन रहने
- (ii) 10 प्रतिशत प्रोन्नति द्वारा हुए प्रोन्नति।

13

14

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों की प्रोन्नति और पृष्ठ के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति जिसमें निम्नलिखित होंगे :-

लागू नहीं होता

- (i) अधीक्षण इंजीनियर (वधित) -अध्यक्ष  
 (ii) कार्यपात्रक इंजीनियर (विद्युत) या संकर्म सर्वेशक (विद्युत) -सदस्य  
 (iii) दूरसंचार सर्किल द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई समूह "क" अधि-कारी -सदस्य

1

2

3

4

5

6

7

क. फेरो-मुद्रक	5* (1995)	साधारण केन्द्रीय सेवा समूह "ग" अगजपत्रित, अनुसूचितीय	825-15-900- द.रो.-20- 1200/ब.	अचयन	नहीं	लागू नहीं होता
----------------	-----------	--	-------------------------------	------	------	----------------

\*कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

दो वर्ष



11

12

प्रोन्नति द्वारा; जिमके न हो सकने पर स्थानान्तरण द्वारा ।

प्रोन्नति :

ऐसे दफ्तरियों में से जिन्होंने दूरसंचार विभाग में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

स्थानान्तरण :

ऐसे उपयुक्त व्यक्तियों के स्थानान्तरण द्वारा जो समरूप या समतुल्य पद धारण किए हुए हैं और जिन्होंने केन्द्रीय सरकार या राज्य सरकार के अधीन अन्य मंत्रालयों में पांच वर्ष नियमित सेवा की है ।

13

14

प्रोन्नति के संबंध में विचार करने के लिए समूह "ग" विभागीय प्रोन्नति समिति :

लागू नहीं होता

- (i) अधीक्षण इंजीनियर —अध्यक्ष
- (ii) कार्यपालक इंजीनियर या संकर्म सर्वेक्षक —सदस्य
- (iii) दूरसंचार सर्किट द्वारा नामनिर्दिष्ट कोई समूह "क" अधिकाारी —सदस्य

[फा.सं. 7-1/90-सीएचई]

के.एस. चन्द्राहासन, सहायक महानिदेशक (सी डब्ल्यू)

## MINISTRY OF COMMUNICATIONS

New Delhi, the 21st June, 1995

G.S.R. ....334.— In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution and in supersession of the Department of Telecommunications and Engineering Wing [Ferro-Printer and Senior Draftsman (Electrical) and Junior Draftsman (Electrical) Recruitment Rules, 1989, and the Department of Telecommunications, Civil Engineering Wing [Ferro-Printer and Senior Draftsman (Civil) and Junior Draftsman (Civil)] Recruitment Rules, 1989, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the posts of Ferro-Printer and Draftsman (Civil) and Draftsman (Electrical) in the Civil Engineering Wing of the Department of Telecommunications, Ministry of Communications, namely :—

1. Short title and commencement :—

(1) These rules may be called the Department of Telecommunications, Civil Engineering Wing [Ferro-Printer, Draftsman (Civil) and Draftsman (Electrical)] Recruitment Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of Posts, classification and scales of pay :—The number of the said posts their classifications and the scales of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.:— The method of recruitment to the said posts, age limit, qualifications and other matters relating there to shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

4. Disqualification :— No person—

(a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living; or

(b) who having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any person, shall be eligible for appointment to any of the said posts :

Provided that the Central Government may, if satisfied, that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for so doing exempt any person from the operation of this rule.

5. Regulation of the existing Draftsman under these rules :—

With the publication of these rules, the cadre of Draftsman (Civil) and Draftsman (Electrical) in the Civil Wing of Department of Telecommunications shall have three grades; namely, Draftsman Grade-I Draftsman Grade-II and Draftsman Grade-III, with identical recruitment qualifications and scales of pay as in the Central Public Works Department. The post of Senior Draftsman (Civil) and Senior Draftsman (Electrical) existing in the Planning Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-I and the Junior Draftsman in the Planning Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-III. The post of Junior Draftsman in the Construction Divisions shall be redesignated as Draftsman Grade-II. The number of posts in these grades, scales of pay and the method of recruitment shall be as specified in the Schedule annexed to these rules.

The existing Senior Draftsman (Civil) and Senior Draftsman (Electrical) who have been granted the revised scale of pay of Draftsman Grade-I shall be adjusted against the post of Draftsman Grade-I to the extent such posts are available. The Draftsmen in excess of the posts identified shall be allowed to continue in the scale of pay Draftsman Grade-I by temporarily upgrading equal number of the post of Draftsmen Grade-II as personal to them. Such Draftsman shall be regularly appointed to the grade of Draftsman Grade-I on the availability of post of Draftsman Grade-I on their vacation by regularly promoted Senior Draftsman, under these rules. Only after regular appointment of all the excess officials, as Draftsman Grade-I the vacancy arising in the grade of Draftsman Grade-I shall be filled up by promotion of Draftsman Grade-II. As and when the excess officials are appointed against the identified posts of Draftsman Grade-I, the posts of Draftsman Grade-II, temporarily upgraded to accommodate such officials shall be automatically downgraded and restored back as Draftsman Grade-II.

Similarly, the Junior Draftsmen who are in the scale of pay of Draftsman Grade-II, shall be adjusted and appointed in the grade of Draftsman Grade-II in the above manner. The Junior Draftsmen in excess of the identified posts of Draftsman Grade-II, will be accommodated as Draftsman Grade-II under these rules, by temporary upgradation of an equal number of posts of Draftsman Grade-III as personal to them. As and when they are accommodated against the regular posts, the temporary upgradation will cease and the posts shall be restored back to Draftsman Gr.-III.

6. Power to relax :— Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category of persons.

7. Saving :— Nothing in these rules shall affect reservations, relaxations of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, Ex-Serviceman and other special categories of persons, in accordance with the orders issued by Central Government from time to time, in this regard.

SCHEDULE

Name of the post	Number of posts	Classification	Scale of pay	Whether selection post or non-selection post
1	2	3	4	5
1. Draftsman Grade-I (Civil)	51 *(1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660	Non-selection

Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (pension) rules) 1972	Age limit for direct recruits	Educational qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in case of promotes	Period of probation if any
6	7	8	9	10
No.	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
Method of recruitment whether by direct recruitment or by promotion or transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods	In case of recruitment by promotion/deputation/transfer, grades from which/promotion/deputation/transfer to be made	If a Departmental Promotion Committee exists, what is its composition		Circumstances in which the Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment
11	12	13		14
100% by promotion	From amongst Draftsman Grade. II (Civil) (Rs. 1400-2300) with 4 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of — (i) Superintending Engineer (Civil)—Chairman. (ii) Executive Engineer (Civil) or Surveyor of Works (Civil)—Member. (iii) Any Group 'A' Officer nominated by the Telecom Circle. —Member.		Not applicable.
1	2	3	4	5
2. Draftsman Grade. I (Electrical)	18* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1600-50-2300-EB-60-2660	Non-selection
6	7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable	Not applicable
11	12	13		14
100% by promotion	From amongst Draftsman Grade. II (Electrical) (Rs. 1400-2300) with 4 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for Considering promotion consisting of — (i) Superintending Engineer (Elect)—Chairman (ii) Executive Engineer (Elect), or Surveyor of Works (Elect)—Member. (iii) Any Group 'A' officer nominated by the Telecom circle. —Member.		Not applicable.

1	2	3	4	5
Draftsman Grade. II (Civil)	78* (1995) *Subject to variation dependent on work load.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1400-40-1800 EB-50-2300	Non-selection
6	7	8	9	10
No	18 to 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the orders/instructions issued by the Central Government in this regard). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the date on which employment exchange is asked to submit the names.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University. (ii) Two years Diploma/Certificate in Draftsmanship (Civil) from an Industrial Training Institute or equivalent recognised institution; (iii) 3 years experience in the line in an organisation of repute. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or the Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	2 years for direct recruits.
11	12	13	14	
100% by promotion failing which by direct recruitment	From amongst Draftsman Grade. III (Civil) (Rs. 1200-2040) with 5 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation of direct recruits consisting of- (i) Superintending Engineer (Civil)—Chairman (ii) Executive Engineer (Civil) or Surveyor of Works (Civil)—Member. (iii) Any Group 'A' Officer nominated by the Telecom Circle—Member.	Not applicable	
1	2	3	4	5
4. Draftsman Grade. II (Electrical)	43* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1400-40-1800- EB-50-2300	Non-Selection

6	7	8	9	10
No	18 to 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the orders/instructions issued by the Central Government in this regard). Note: The crucial date for determining the age limit shall be the date on which employment exchange is asked to submit the names.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University. (ii) Two years Diploma/Certificate in Draftsmanship (Electrical/Mechanical) from an Industrial Training Institute or equivalent recognised institution. (iii) 3 years experience in the line in an organisation of repute. Note: The qualification regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection, the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.	Not applicable	2 years for direct recruits

11	12	13	14
100% by promotion failing which by direct recruitment.	From amongst Draftsman Grade. III (Electrical) (Rs. 1200-2040) with 5 years regular service in the grade.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion/confirmation of direct recruit consisting of— (i) Superintending Engineer (Elec)—Chairman (ii) Executive Engineer (Elect) or Survey of Works (Elect)—Member. (iii) Any Group 'A' officer nominated by the Telecom Circle.—Member.	Not applicable.

1	2	3	4	5
5. Draftsman Grade. III (Civil)	204* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group "C" Non-Gazetted, Non-Ministerial.	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040.	Non-selection

6	7	8	9	10
No	18 to 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the orders/instructions issued	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University; (ii) Two years Diploma/Certificate in Draftsmanship (Civil) from an	Not applicable	2 years for direct recruits

7

8

by the Government in this regard).  
 Note: The crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which employment exchange is asked to submit the names.

Industrial Training Institute or equivalent from recognised institutions.  
 Desirable: One years' experience as Draftsman.  
 Note: The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11

12

13

14

(i) 90% by direct recruitment through employment exchange; and (ii) 10% by promotion.	Promotion from Ferro-Printers with 8 years regular service in the grade subject to passing the prescribed test for the purpose.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation of direct recruits consisting of— (i) Superintending Engineer (Civil)—Chairman (ii) Executive Engineer (Civil) or Surveyor of Works (Civil)—Member. (iii) Any Group 'A' officer to be nominated by the Telecom Circle—Member.	Not applicable
--	---	--	----------------

1

2

3

4

5

5. Draftsman Grade, III (Electrical)	72* (1995)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 1200-30-1560-EB-40-2040	Non-selection
--------------------------------------	------------	---	-----------------------------	---------------

\*Subject to variation dependent on workload.

6

7

8

9

10

No	18 to 25 years (Relaxable for departmental candidates upto 40 years in accordance with the orders/instructions issued by the Government in this regard). Note : The crucial date for determining the age limit shall be the closing date by which employment exchange is asked to submit the name.	(i) Matriculation or equivalent from a recognised Board/University ; and (ii) Two years Diploma/Certificate in Draftsmanship (Electrical)/(Mechanical) from an Industrial Training Institute or equivalent from recognised institutions. Desirable : One years' experience as Draftsman.	Not applicable	2 years for direct recruits.
----	---	--	----------------	------------------------------

Note : The qualifications regarding experience is relaxable at the discretion of the Central Government for reasons to be recorded in writing in the case of candidates belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes, if at any stage of selection the Central Government is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancies reserved for them.

11	12	13	14
(i) 90% by direct recruitment through employment exchange; and (ii) 10% by promotion;	Promotion from Ferro-Printers with 8 years regular service in the grade subject to passing the prescribed test for the purpose.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion and confirmation of direct recruits consisting of - (i) Superintending Engineer (Elect)—Chairman (ii) Executive Engineer (Elect) or Surveyor of Works (Elect)— Member (iii) Any Group 'A' officer to be nominated by the Telecom circle.—Member	Not applicable

1	2	3	4	5
7. Ferro-Printer	62* (1995) *Subject to variation dependent on workload.	General Central Service, Group 'C', Non-gazetted, Non-Ministerial	Rs. 825-15-900-FB-20-12 00	Non-selection
6	7	8	9	10
No	Not applicable	Not applicable	Not applicable	2 years

11	12	13	14
By promotion failing which by transfer	Promotion : From amongst Daffries who have put in 5 years regular service in the Department of Telecommunications. Transfer : By transfer of suitable persons holding similar or equivalent posts who have put in 5 years regular service in other departments under the Central Government or State Government.	Group 'C' Departmental Promotion Committee for considering promotion consisting of-- (i) Superintending Engineer—Chairman (ii) Executive Engineer or Surveyor of Works—Member (iii) Any Group 'A' Officer nominated by the Telecom Circle—Member	Not applicable

[File No. 7-1/90-CSE]

K.S. CHANDRAHASAN, Asstt. Director General (CW)

## इलेक्ट्रॉनिकी विभाग

नई दिल्ली, 1 जन, 1995

सा.का.नि. 335 :—राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती (संशोधन) नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. इलेक्ट्रॉनिकी विभाग (समूह "ख" और समूह "ग" पद) भर्ती नियम, 1977 की अनुसूची में परिवहन पर्यवेक्षक के पद से संबंधित क्रम संख्या 41 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियाँ जोड़ी जाएंगी. अर्थात् :—

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	अनुसूची		चयन पद अथवा अचयन पद	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु सीमा
			वैतनमान			
1	2	3	4	5	6	7
42. अनुभाग अधिकारी (अग्निशमन)	एक* (1995) *कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ख" अराजपक्षित (अनुसूचिबन्ध)		2000-60-2300- व.रो.-75-3500 रु.	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए, परिशिक्षा की अवधि, यदि कोई हो विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8

9

10

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता



भर्ती की पद्धति: भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रति-प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियों नियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जिनमें प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा । जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता

11

12

प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण/स्थानान्तरण द्वारा ।

(क) प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण

केन्द्रीय/राज्य सरकार, पब्लिक सेक्टर उपक्रमों, स्वशासी निकायों और अन्य सरकारी निकायों के ऐसे अधिकारी में से :-

- (i) जिन्होंने स्टेशन अधिकारी (अग्निशमन)/ अग्निशमन अधिकारी की श्रेणी में मद्य पद धारण किए हुए हैं या जिन्होंने 2000-3200/- रुपये के वेतनमान वाले पद पर उम्र श्रेणी में कम से कम दो वर्ष निरन्तर सेवा की है और जिन्होंने राष्ट्रीय महाविद्यालय, नागपुर से स्टेशन अधिकारी का पाठ्यक्रम पूरा किया है या रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक अग्निशमन सेवा के बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है ।
- (ii) ऐसा उप अधिकारी (अग्निशमन)/अग्निशामक जिसने दमकल केन्द्र में से 1600-2660 रु. की श्रेणी में अग्निशामक प्रणाली में कार्य करते हुए कम से कम सात वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप अधिकारी पाठ्यक्रम पूरा किया है या रक्षा मंत्रालय, रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक अग्निशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है या दमकल केन्द्र में ऐसा अग्निशमन महायक जिसने 1640-2900 रु. की श्रेणी में अग्निशमन प्रणाली में कार्य करते हुए कम से कम पांच वर्ष नियमित सेवा की है और जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय, नागपुर से उप अधिकारी का पाठ्यक्रम पूरा किया है या रक्षा मंत्रालय, रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक अग्निशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है ।
- (iii) 2000-3500 रु. के वेतनमान में इलेक्ट्रॉनिकी विभाग के ऐसे अधिकारी जिन्होंने राष्ट्रीय अग्निशमन सेवा महाविद्यालय नागपुर से उप अधिकारी का प्रशिक्षण पूरा किया है या रक्षा मंत्रालय, रक्षा अग्निशमन अनुसंधान संस्थान द्वारा संचालित प्रारंभिक अग्निशमन सेवा में बुनियादी पाठ्यक्रम या समतुल्य पूरा किया है ।

(ख) स्थानान्तरण

केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों के ऐसे अधिकारियों में से जिन्होंने उपरोक्त (i), (ii) या (iii) पर यथाविहित पात्रता मानदण्ड पूरा करते हों ।

टिप्पण :

1. यदि व्यक्ति अत्यथा उपयुक्त पाया जाता है तो उपरोक्त अनुभव में दो वर्ष की छट दी जा सकती है ।

2. प्रतिनियुक्ति की अवधि जिसके अन्तर्गत इलेक्ट्रानिकी विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काडर बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, तीन वर्ष से अधिक नहीं होगी।

3. प्रतिनियुक्ति पर स्थानांतरण द्वारा नियुक्ति के लिए अधिकतम आयु सीमा आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तारीख को 56 वर्ष से अधिक नहीं होगी।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जायेगा।

13

14

लागू नहीं होता

लागू नहीं होता

[सं. 1 (1)/91-पी.पी.]

जी. भट्टाचार्य, उप निदेशक

टिप्पण:— मूल नियम अधिसूचना सं.सा.का.नि. 747 तारीख 1 जून, 1977 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे और तत्पश्चात् निम्नलिखित द्वारा संशोधित किए गए :—

1. सा.का.नि. 455 तारीख 24-3-1979
2. सा.का.नि. 369 तारीख 26-3-1981
3. सा.का.नि. 735 तारीख 27-4-1981
4. सा.का.नि. 557 तारीख 19-6-1982
5. सा.का.नि. 815 तारीख 10-9-1982
6. सा.का.नि. 153 तारीख 29-1-1983
7. सा.का.नि. 183 तारीख 29-1-1983
8. सा.का.नि. 702 तारीख 23-8-1983
9. सा.का.नि. 907 तारीख 12-8-1984
10. सा.का.नि. 12 तारीख 19-12-1985
11. सा.का.नि. 542 तारीख 26-6-1986
12. सा.का.नि. 439 तारीख 27-12-1988
13. सा.का.नि. 139 तारीख 26-2-1989
14. सा.का.नि. 485 तारीख 20-6-1989
15. सा.का.नि. 404 तारीख 30-5-1990
16. सा.का.नि. 718 तारीख 25-10-1990
17. सा.का.नि. 748 तारीख 19-11-1990
18. सा.का.नि. 370 तारीख 15-7-1992
19. सा.का.नि. 106 तारीख 28-1-1993
20. सा.का.नि. 316 तारीख 20-5-1993

## DEPARTMENT OF ELECTRONICS

New Delhi, the 1st June, 1995

G.S.R. 335 :—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, the President hereby makes the following rules further to amend the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977 namely:—

1. (1) These rules may be called the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment (Amendment) Rules, 1995.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Schedule to the Department of Electronics (Group 'B' and Group 'C' posts) Recruitment Rules, 1977, after serial number 41 relating to the post of Transport Supervisor and entries relating thereto the following serial number and entries shall be added, namely:—

## SCHEDULE

Sl. No.	Name of the post	No. of posts	Classification	Scale of Pay	Whether selection post or non-selection post	Age limit for direct recruits.
1	2	3	4	5	6	7
42.	Section Officer (Fire)	One* (1995)	General Central Service, Group-'B', Gazetted (Ministrial)	Rs. 2000-60-2 300 EB-75-3500	Not Applicable	Not Applicable
	*Subject to variation depending on work-load,					
	Educational and other qualifications for direct recruits.		Whether age and Educational qualifications prescribed for Direct Recruits will apply in the case of Promotion.	Period of probation, if any.	Methods of recruitment, whether by direct recruitment or by promotion or by deputation transfer and percentage of the vacancies to be filled by various methods.	
	8		9	10	11	
	Not Applicable		Not Applicable	Not Applicable	By transfer on deputation/transfer.	
	In case of recruitment by promotion/deputation transfer grades from which promotion/transfer/deputation to be made.		If a Departmental Committee exists what is its composition.		Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment.	
	12		13		14	
(a)	Transfer on Deputation : From amongst the officers of Central/State Government. Public Sector Undertakings. Autonomous bodies & other Governments		Not Applicable		Not Applicable.	

bodies in the grade of :—

- (i) Station Officer (Fire)/Fire Officer holding analogous post or post in the pay scale of Rs. 2000—3200/- with minimum 2 years regular service in the grade and having undergone Station Officer Course of National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute, Ministry of Defence or equivalent.

OR

- (ii) Sub Officer (Fire) with minimum 7 years regular Service in Fire Station, handling fire systems in the grade of Rs. 1550—2550/- and having undergone Sub-officer's course of National Fire Service Collage, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Reserch Institute, Ministry of Defence or equivalent. Or Fire Assistant with minimum 5 years regular service in Fire Station handling fire systems in the grade of Rs. 1642—2900/- and having undergone sub-officer's course of National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute, Ministry of Defence or equivalent.

OR

- (iii) Section Officers of Department of Electronics in the scale of pay scale of Rs. 2 000—3500/- who have undergone sub-officer's training at National Fire Service College, Nagpur or basic course in Elementary Fire Fighting conducted by Defence Fire Research Institute, Ministry of Defence or equivalent.

(b) Transfer :

From amongst the officers of Central Government and State Governments, fulfilling the eligibility criteria as prescribed at (i) (ii) or (iii) (iii) above.

## NOTE :—

1. The experience stated above is relaxable by two years if the person is found otherwise suitable.
2. The period of deputation including period of deputation in another ex-cadre post held immediately preceding this appointment in the Department of Electronics shall not exceed three years.
3. Maximum age-limit for appointment by transfer on deputation shall not exceed 56 years as on the closing date for receipt of application.

[No. 1(1)/91-PP]

G. BHATTACHARYA, Dy. Director.

NOTE :—Principal Recruitment Rules were published in the Gazette of India vide Notification No. GSR 747, dated the 1st June, 1977 and subsequently amended vide:—

1. G.S.R. 455 dated 24-3-1979
2. G.S.R. 369 dated 26-3-1981
3. G.S.R. 735 dated 27-4-1981
4. G.S.R. 557 dated 19-6-1982
5. G.S.R. 815 dated 10-9-1982
6. G.S.R. 153 dated 29-1-1983
7. G.S.R. 183 dated 29-1-1983
8. G.S.R. 702 dated 23-8-1983
9. G.S.R. 907 dated 02-8-1984
10. G.S.R. 12 dated 19-12-1985
11. G.S.R. 542 dated 26-6-1986
12. G.S.R. 439 dated 27-12-1988
13. G.S.R. 139 dated 16-2-1989
14. G.S.R. 485 dated 20-6-1989
15. G.S.R. 404 dated 30-5-1990
16. G.S.R. 718 dated 25-10-1990
17. G.S.R. 748 dated 19-11-1990
18. G.S.R. 370 dated 15-7-1992
19. G.S.R. 106 dated 28-1-1993
20. G.S.R. 316 dated 20-5-1993

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य विभाग)

नई दिल्ली, 22 जून, 1995

सा.का.वि. 326. —राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 309 के परस्पर द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और सफवरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) भर्ती नियम, 1973 को, जहाँ तक उनका संबंध एकसरे सहायक के पद से है, उन बातों के सिवाय अधिकृत करते हुए जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पहले किया गया है या करने का विचार है, सफवरजंग अस्पताल में एकसरे सहायक के पद पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ (1) : इन नियमों का संक्षिप्त नाम सफवरजंग अस्पताल, नई दिल्ली, समूह "ग" (एकसरे सहायक) भर्ती नियम, 1995 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. पद संरक्षा, वर्गीकरण और वेतनमान : उक्त पद की संख्या, उसका वर्गीकरण और उसका वेतनमान वह होगा, जो इन नियमों से उपायुक्त अनुसूची के स्तम्भ 2 से 4 में विनिर्दिष्ट है।

3. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि : उक्त पद पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनमें संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तम्भ 5 से स्तम्भ 14 में विनिर्दिष्ट हैं।

4. निरर्हता : वह व्यक्ति—

(क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित है, विवाह किया है; या

(ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित होते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है;

उक्त पद पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति और विवाह के अन्य पक्षकार को लागू स्वीकृति विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इन नियमों के प्रवर्तन में टपे सकेगा।

5. प्रिविलेज करने की शक्ति : जहाँ केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहाँ लिए जो कारण हैं उन्हें देखते हुए इन नियमों के निम्नी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्ति की वास्तव, आदेश द्वारा शिथिल कर देगी।

6. व्यावृत्ति : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिन पर केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, भूतपूर्व सैनिकों और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है।

#### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतनमान
1	2	3	4
एडरर महासक	*4 (मान) (1995) *कार्यभार के आधार पर परि- वर्तन किया जा सकता है।	माधारण केन्द्रीय सेवा, समूह "ग" प्ररजापत्रित अनसुचिचीय	975-20-1150-द. रो.-30- 1540 रुपये
अन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए पदों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पंथन) नियम-1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं		सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा
लागू नहीं होता	महीं		18 से 25 वर्ष के बीच

(केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी किए गए अनुदेशों या आदेशों के अनुसार सरकारी क्षेत्रों के लिए शिथिल करके 36 वर्ष तक की जा सकती है।)

टिप्पण: रोजगार कार्यालयों के माध्यम से की जाने वाली नियुक्ति की दशा में आयु-सीमा अन्वधारित करने के लिए निम्नलिखित तारीख वह अन्तिम तारीख होगी जिस तक रोजगार कार्यालयों से नाम भेजने के लिए कहा गया है।

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं प्राप्त व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं

8	9	10
---	---	----

- |   |                |         |
|---|----------------|---------|
| 1. किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य अर्हता।  | लागू नहीं होता | दो वर्ष |
| 2. किसी मान्यता प्राप्त संस्था से विभिन्न विषयों में दो वर्ष की अवधि का डिप्लोमा/प्रमाण-पत्र या समतुल्य |                |         |

टिप्पण :-- अर्हताएं अथवा सुप्रसिद्ध अभ्युक्तियों की दशा में संघ लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार गिथित की जा सकती है।

टिप्पण :-- अनुभव संबंधी अर्हता (अर्हताएं) संघ लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग के विवेकानुसार अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के अभ्युक्तिओं की दशा में तब शिथिल की जा सकती है (है) जब चयन के किसी प्रक्रम पर तब लोक सेवा आयोग/सक्षम प्राधिकारी/कर्मचारी चयन आयोग की यह राय है कि उनके लिए आरक्षित रिक्तियों को भरने के लिए अपेक्षित अनुभव रखने वाले उन समुदायों के अभ्युक्तिओं के पर्याप्त संख्या में उपलब्ध होने की संभावना नहीं है।

भर्ती की पद्धति/भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा वा प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिपत्ता प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/स्थानान्तरण किया जाएगा

11	12
----	----

- रोजगार कार्यालय के माध्यम से जन-प्रतिपत्त सीधे भर्ती द्वारा।
- टिप्पण : पदधारी के प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण पर या लम्बी बीमारी या अध्ययन छुट्टी या किन्हीं अन्य परिस्थितियों, एक वर्ष या उससे अधिक अवधि के लिए बाहर रहने के कारण हुई रिक्तियों केन्द्रीय सरकार के ऐसे अधिकारियों में से प्रतिनियुक्ति पर स्थानान्तरण के आधार पर भरी जा सकेंगी -
- (क) (i) जो नियमित आधार पर सतुल्य पद धारण किए हुए हैं; या
  - (ii) जिनहोने 950-1400/825-1200 स्तरों वा समतुल्य बेतमान वाले पदों पर 3-5 वर्ष नियमित सेवा की है; और
  - (ख) जिनके पास स्तर 8 के अधीन सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित अर्हताएं और अनुभव।

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है, तो उसकी संरचना भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा

13	14
----	----

पुष्टि के लिए विभागीय प्रोन्नति समिति : लागू नहीं होता

1. अपर चिकित्सा प्रवीक्षक - अध्यक्ष

2. विभागाध्यक्ष (विकिरण-चिकित्सा विज्ञान) —सदस्य  
3. मुख्य प्रशासनिक अधिकारी —सदस्य

[सं. ए. 11018/16/91-आर. आर. (एच.)]

श्याम जिन्दल, अवर सचिव

पाठ टिप्पण : सफदरजंग अस्पताल (तृतीय श्रेणी पद) नियम, 1973 अधिसूचना सं. ए-12018/3/72-(एच.) जिल्द 2(1) तारीख 17-12-1973 (सां. का. नि. सं. 5) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

MINISTRY OF HEALTH & FAMILY WELFARE  
(Deptt. of Health)

New Delhi, the 22nd June, 1995

G.S.R. 336.—In exercise of the powers conferred by the proviso to article 309 of the Constitution, and in supersession of the Safdarjang Hospital (Class III posts) Recruitment Rules, 1973 in so far as they relate to the post of X-ray Assistant except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the President hereby makes the following rules regulating the method of recruitment to the post of X-ray Assistant in the Safdarjang Hospital, namely :—

1. Short title and commencement.—(1) These rules may be called the Safdarjang Hospital, New Delhi, Group 'C' (X-ray Assistant) Recruitment Rules, 1995

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Number of post, classification and scale of pay.—The number of the said post, its classification and the scale of pay attached thereto shall be as specified in columns 2 to 4 of the Schedule annexed to these rules.

3. Method of recruitment, age limit, qualifications etc.—The method of recruitment to the said post, age limit, qualifications and other matters relating thereto shall be as specified in columns 5 to 14 of the said Schedule.

## 4. Disqualification.—No person,—

- (a) who has entered into or contracted a marriage with a person having a spouse living, or  
(b) who, having a spouse living, has entered into or contracted a marriage with any other person,

shall be eligible for appointment to the said post :

Provided that the Central Government may, if satisfied that such marriage is permissible under the personal law applicable to such person and the other party to the marriage and that there are other grounds for such doing, exempt any person from the operation of this rule.

5. Power to relax.—Where the Central Government is of the opinion that it is necessary or expedient so to do, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax any of the provisions of these rules with respect to any class or category or persons.

6. Saving.—Nothing in these rules shall affect reservations, relaxation of age limit and other concessions required to be provided for the Scheduled Castes, Scheduled Tribes, Ex-servicemen and other special categories of persons in accordance with the orders issued by the Central Government from time to time in this regard.

## SCHEDULE

Name of post	Number of post	Classification	Scale of pay	Whether selection or non-selection post	Whether benefit of added years of service admissible under rule 30 of the Central Civil Service (Pension) Rule, 1972
1	2	3	4	5	6
X-Ray Assistant	4(four)* (1995)	General Central Service, Group 'C', Non-Gazetted, Non-Ministerial	Rs. 975-20-1150- EB-30-1540	Not applicable	No

\*Subject to variation dependent on work-load.



Age limit for direct recruitment	Educational and other qualifications required for direct recruits	Whether age and educational qualifications prescribed for direct recruits will apply in the case of promotees.	Period of probation if any
7	8	9	10
<p>Between 18-25 years (Relaxable for Government Servants upto 35 years in accordance with instructions or orders issued by the Central Government)</p> <p>Note :—In respect of post, the appointment to which is made through the Employment Exchange, the crucial date for determining the age limit shall be the last date upto which the Employment Exchanges are asked to submit the names.</p>	<p>1. Matriculation or equivalent qualification from a recognised Board.</p> <p>2. Diploma/certificate in Radiography of 2 years duration from recognised institution or equivalent.</p> <p>Note: 1. Qualifications are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission in the case of candidates otherwise well qualified.</p> <p>Note: 2. The qualification(s) regarding experience is/are relaxable at the discretion of the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority in the case of candidates belonging to Scheduled Castes or Scheduled Tribes if at any stage of selection the Union Public Service Commission/Staff Selection Commission/Competent Authority is of the opinion that sufficient number of candidates from these communities possessing the requisite experience are not likely to be available to fill up the vacancy reserved for them.</p>	Not applicable	Two years
<p>Method of recruitment, whether by direct recruitment or by deputation/transfer and percentage of vacancies to be filled by various methods</p>	<p>In case of recruitment by promotion, deputation/transfer grade from which promotion/deputation/transfer to be made</p>	<p>If a Departmental Promotion Committee exists what is its composition?</p>	<p>Circumstances in which Union Public Service Commission is to be consulted in making recruitment</p>
11	12	13	14
<p>100% by direct recruitment through Employment Exchange.</p> <p>Note: Vacancies caused by the incumbent being away on transfer non deputation or long</p>	Not applicable	<p>Departmental Promotion Committee for confirmation:</p> <p>1. Additional Medical Suptt.—Chairman</p>	Not applicable

illness or study leave or under other circumstances for a duration of one year or more may be filled on transfer or deputation from officers of Central Govt.:

(a) (i) holding analogous posts on regular basis; or

(ii) with 3-5 years regular service in posts in the scale of Rs. 950-1400/825-1200/- or equivalent; and

(b) possessing the qualifications and experience prescribed for direct recruits under column 8.

2. Head of Department (Radiology)—Member
3. Chief Administrative Officer—Member.

[No. A-11018/16/91-RR. (H)]  
SHYAM JINDAL, Under Secy.

Foot Note:—The Safdarjang Hospital (Class III posts) recruitment Rules, 1973 were published vide notification No A-12018/3/72(H) vol. 2(1) dated 17-12-73 (G.S.R. No. 5)